वर्ष 1 अंक 8 अगस्त 1979 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

मजदूर वर्ग और सरकार का संकट — बी. टी. रणदिवे

मोरारजी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, या उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है. आजादी के बाद यह पहला मौका है कि केंद्र की सरकार को इस वजह से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा कि लोकसभा में उसका बहुमत खत्म हो गया था. इस अभूतपूर्व घटना से क्या पता चलता है ? इससे इस सच्चाई पर रोशनी पड़ती है कि अब पार्लियामेंट और सरकार बहुत गहरे संकट की चपेट में आ चुकी है.

जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी मोरारजी सरकार को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, क्योंकि लोकसभा में जनता पार्टी के 300 सदस्य थे. लेकिन, इसके बावजूद यह सरकार रेत के दीवार की तरह बिखर गयी, क्योंकि पार्टी टूट गयी और इसके 100 से अधिक सदस्य तथा 12 मंत्री पार्टी से इस्तीफा देकर अलग हो गये.

क्या सोचा था क्या हुआ

भारतीय जनता ने मोरारजी सरकार और जनता पार्टी को यह सोचकर हुकूमत की बागडोर सौंपी थी कि वे तानाशाही की ताकतों के विरुद्ध संघर्ष में मददगार साबित होंगे. उनके टूट जाने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को अब तानाशाही से लड़ने और अपने हितों की रक्षा के लिए एक नया हथियार बढ़ना होगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो इंदिरा समर्थक तत्व पूरी तरह सत्ता में होंगे और संजय की चौकड़ी लोगों को फिर से सताने में समर्थ हो सकेगी.

जनता पार्टी क्यों बिखर गयी ? जनता पार्टी कई गुटों का जमघट थी. सोशलिस्टों से लेकर जनसंघ-आर. एस. एस. गुट तक इसमें शरीक थे. इनके अलावा बी. एल. डी., कांग्रेस (संगठन) और सी. एफ. डी. भी इसमें शामिल थे. यह एक बड़ा अजीबो-गरीब गड्डमड्ड था जिसमें ऐसे गुट शरीक थे जिनकी विचारधाराओं में घोर विरोध था. मिसाल के तौर पर मधुलिमये और नानाजी देशमुख या मोरारजी और मधु दंडवते के बीच क्या समानता हो सकती है ? लेकिन, एक चीज जरूर ऐसी थी जो इन व्यक्तियों और संगठनों को एक मंच पर लायी. वह चीज थी तानाशाही ताकतों के प्रतीक इंदिरा गांधी से लड़ने का साझा उद्देश्य, जिसके कारण उन्होंने वामपंथी जनवादी संगठनों के सहयोग से 1977 के चुनाव में इंदिरा कांग्रेस को धूल चटाई और लोकतंत्र को बहाल करने का संघर्ष शुरू किया.

इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी हुकूमत की शैतानियों को एक-एक करके हटाना शुरू किया. उन्होंने बदनाम 42वें संविधान संशोधन कानून का फिर से संशोधन किया और प्रेस के अधिकारों तथा नागरिक आजादी को बहाल किया. इसके चलते वे खूब पनपे और उनकी शाख बढ़ गयी. अब उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे पूरे करने शुरू किये. बोनस को बहाल कर दिया गया, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान निकाले गये रेल मजदूरों को फिर से काम पर बुला लिया गया और जबरिया जमा योजना (सी. डी. एस.) को खत्म कर दिया गया. इस सबसे जनता सरकार की छवि और भी निखर आयी.

बिखराव की शुरूआत

लेकिन, जब पार्टी नेतृत्व ने इस रास्ते से पीछे हटना शुरू किया तो पार्टी बिखरने लगी. तानाशाही ताकतों पर हमला करने के बजाय जनता सरकार ने जनता का ही दमन शुरू कर दिया. कांग्रेस के जमाने में जो भूमि कानून बने थे जनता सरकार ने उन्हें भी लागू करने से इनकार कर दिया. उसने बोनस को 'रोका गया वेतन' मानना नामंजूर कर दिया. चीजों की कीमतें बढ़ाकर उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और संसद में

[शेष पृष्ठ दो पर]

पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों की 14 सितंबर को अखिल भारतीय हड़ताल

इस अंक में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अखिल भारतीय बंगलौर कनवेंशन के बारे में 4 पृष्ठ का एक विशेष परिशिष्ट भी है

मुख पृष्ठ से आगे

जनता के सामने एक ही सवाल

बदनाम औद्योगिक संबंध बिल पेश कर दिया. बहुत से राज्यों में जनता सरकारों ने मीसा और निवारक नजरबंदी कानून बनाये; मोरारजी भाई ने खुल्लम-खुल्ला केंद्र में भी निवारक नजरबंदी कानून दुबारा से लाने की बात की, और अपनी हुकुमत के आखिरी दौर में जनता सरकार ने पुलिस, सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के कर्मचारियों के आंदोलन को जिस जंगलीपन के साथ कुचला उसे देख कर इंदिरा शासन के दिनों की याद ताजा हो आयी. इसलिए कोई अचरज की बात नहीं कि **जनता पार्टी ने जैसे ही तानाशाही की ताकतों से लड़ने का मूल संकल्प छोड़ा वैसे ही मतभेद बढ़े, गुटबाजी हुई और पार्टी के सदस्य विद्रोह पर उतर आये.** जनता पार्टी का यह हश्र इसलिए हुआ क्योंकि **इसके नेतृत्व का वर्ग-चरित्र भी वही था जो कांग्रेस का था और इसने भी पूंजीपति-जमींदार वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली कांग्रेसी नीतियों पर ही चलना जारी रखा.** मोरारजी देसाई ने चुनाव के दौरान किये गये वादों को पूरा करना तो दूर रहा, उनका मजाक उड़ाया. जनता सरकार जनता के जनवादी अधिकारों पर हमले तेज करती गयी. **इस सबका नतीजा यह हुआ कि तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष के उद्देश्य से कायम की गयी एकता टूट गयी और गुटबाजी की रणनीति जनता पार्टी पर हावी हो गयी.** इन हालात में सबसे ज्यादा संगठित घटक—आर. एस. एस.—जनसंघ गुट—मोरारजी की मदद से मनमानी करने लगा. कई राज्यों की सरकारों पर वह पहले ही कब्जा कर चुका था. अब उसने जनता पार्टी के संगठन को भी हथिया लिया. इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के मंत्रिमंडलों को गिरा दिया. अन्तिम दो राज्यों में उसने अपने समर्थकों के मंत्रिमंडल बनाये जो आज भी किसी तरह काम चला रहे हैं. इसके साथ ही साथ उसने कभी चोरी-छिपे और कभी सामने आकर अपनी सांप्रदायिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया. अलीगढ़ और जमशेदपुर के दंगे आर. एस. एस. और जनसंघ के कुछ विधायकों के ही कारनामे थे. लेकिन, जनता पार्टी का नेतृत्व अब इस गुट पर इस कदर निर्भर हो चुका था कि उसने आर. एस. एस. की निंदा करने के बजाय उसे शराफत का तमगा दे डाला.

जबर्दस्त विरोध

जनता पार्टी के अंदर से इन सारी बातों का जबर्दस्त विरोध हुआ. मधु लिमये और दूसरे नेताओं ने आर. एस. एस. की सांप्रदायिक विचारधारा और उसकी विघटनकारी तथा राष्ट्र-विरोधी भूमिका की कठोर निंदा करते हुए दुहरी सदस्यता को समाप्त करने की मांग की. इस मामले का फैसला मोरारजी पर छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने इस डर से अपना फैसला नहीं दिया कि इससे कहीं उनके संघी सदस्य नाराज न हो जायें. और अब, फर्जी प्रस्ताव की बुनियाद पर यह भरोसा दिया जा रहा है कि संघी संसद सदस्य संघ की शाखाओं में नहीं जायेंगे, अलबत्ता वे पार्टी में और देशवासियों के बीच संघी विचारधारा का प्रचार करना जारी रखेंगे.

चरणसिंह जैसे लोगों ने अपना गुट—भूततूर्व बी. एल. डी.—दुबारा संगठित कर लिया ताकि वे जनता पार्टी के संगठन पर संघी गुट को हावी होने से रोक सकें. इसमें शक नहीं कि आर. एस. एस. द्वारा तमाम राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और जनता पार्टी पर कब्जा कर लेने की पागल और अंधी इच्छा के कारण ही जनता पार्टी का विघटन हुआ.

लेकिन, आज जनता के सामने यह गंभीर समस्या है कि अब क्या होना है ?

तानाशाही का खतरा

पिछले ढाई वर्षों में जनता के हालात नाकाबिले-बर्दाश्त हो गये हैं. इंदिरा की हुकूमत के दौरान उन्हें जो तकलीफें झेलनी पड़ीं उनमें उन्हें कोई इमदाद नहीं मिली है. इमदाद मिलना तो दूर रहा, जनता नेतृत्व की प्रतिक्रियावादी आर्थिक नीतियों और आर. एस. एस. की बेलगाम सांप्रदायिक हरकतों की बदौलत हिंदुस्तान की जनता के सर पर तानाशाही का खतरा, इंदिरा की वापसी का खतरा, मंडरा रहा है.

जनता को ऐसी चाल चलनी है जिससे इंदिरा गांधी की ताकतों और आर. एस. एस. जनसंघ गुट—दोनों को ही—शह-मात दी जा सके तथा वामपंथी जनवादी ताकतों की एकता मजबूत हो सके. इसका मतलब क्या हुआ ? पहले दौर में तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी किसी भी सरकार को वोट देकर उसके हाथ में हुकूमत की बागडोर नहीं देनी चाहिए जो आर. एस. एस. के समर्थन पर निर्भर करती हो. केंद्र में जनता (एस) और कांग्रेस की मिली-जुली सरकार का समर्थन भी मजदूर वर्ग को नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सरकार बहुत बड़ी हद तक इंदिरा कांग्रेस पर निर्भर करती है. मजदूर वर्ग ऐसी किसी भी सरकार का समर्थन करने को तैयार है जो इंदिरा कांग्रेस और जनसंघ—आर. एस. एस. की ताकतों पर निर्भर न हों और रेल कर्मचारियों को बोनस, अध्यादेशों की वापसी; निवारक नजरबंदी कानून की बात भी न सोचना; सभी गिरफ्तार पुलिस-जन की रिहायी, उनके खिलाफ बदले की कार्यवाहियों का खात्मा और नौकरियों पर उनकी बहाली; किसानों को उनकी पैदावार की लाभकारी कीमतें; और कीमतों पर नियंत्रण आदि मांगों को पूरा करने का वादा करे. कांग्रेस (एस)जनता (एस) और सोशलिस्टों की मिली-जुली सरकार कायम जरूर हो गयी है, लेकिन उसे इंदिरा कांग्रेस की साजिशों से चौकस रहना होगा. अगर वह वाकई जनता की सेवा में अपनी भूमिका निभाना

[शेष पृष्ठ तीन पर]

जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बिहार विधान सभा के सामने प्रदर्शन

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, ए. आई. टी. यू. सी., हिन्द मजदूर सभा, आई. एन. टी. यू. सी. तथा यू. टी. यू. सी. लेनिन सरणी के संयुक्त तत्वावधान में बिहार के मजदूर संगठन, कर्मचारी महासंघों तथा सेवा संगठन का एक विशाल प्रदर्शन बिहार विधान सभा के सामने 27 जून को किया गया. प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हजारों रेल, इस्पात, कोयला, बीड़ी, गलास, रिफ्रैक्ट्री, प्रेस, सूती मिलों, इंजीनियरिंग मजदूरों के साथ-साथ बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में हजारों सरकारी कर्मचारी, विश्व विद्यालय कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में बिहार के विश्वविद्यालय कर्मचारी और खास तौर से पटना विश्व विद्यालय की सभी कालेजों के कर्मचारी हड़ताल कर प्रदर्शन में शामिल हुए थे. प्रदर्शन में 50 हजार से अधिक मजदूरों और कर्मचारियों ने भाग लिया. यह प्रदर्शन बिहार की राजधानी में पहला प्रदर्शन था जब सभी उद्योगों के मजदूर, बैंक, बीमा, दवा कंपनियों के कर्मचारियों के साथ-साथ विद्यालयों, विश्व विद्यालयों के शिक्षक तथा कर्मचारी एक साथ मिल कर औद्योगिक संबंध बिल, विश्वविद्यालय तथा अस्पताल कर्मचारी सेवा विधेयक, रिजर्व बैंक कर्मचारियों के खिलाफ तथा जबरिया जमा योजना के पैसे रोक रखने संबंधी अध्यादेश, बिहार आवश्यक सेवा नियम के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के हड़ताल के हक छीनने वाले नियमों, राज्य सरकार के 10 सूत्री आदेश तथा अन्य काले कानूनों और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे.

प्रदर्शनकारियों की ओर से पांच कद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री से मिला. प्रतिनिधि मंडल में सी. आई. टी. यू. की

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

ट्रेड यूनियनों की एकजुट ताकत को निर्णायक भूमिका अदा करनी होगी

[पृष्ठ दो से आगे]

चाहती है तो उसके लिए इंदिरा कांग्रेस के समर्थन से छुटकारा पा लेना बेहद ज़रूरी है. अगर ऐसा करने के साथ ही वह ऊपर लिखी मांगों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाती है तो लोग उसका भरोसा करने लगेंगे और वह लोकतंत्र की सेवा कर सकेगी. वरना, वह तानाशाही की ताकतों के हाथों में एक खिलौना बनकर रह जायगी और निकट भविष्य में इंदिरा की वापसी का रास्ता ही साफ करेगी.

मौजूदा हालात में पार्लियामेंट में जबर्दस्त विरोध होगा और उसके ऊपर लगातार संकट आयेंगे. ऐसी हालत में मध्यावधि चुनावों की संभावना बढ़ जाती है.

अगर चुनाव होते हैं तो प्रतिक्रियावादी पार्टियां और सांप्रदायिक तथा तानाशाही शक्तियां जनता के बीच अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनमें दुबारा धोखा देने की कोशिश करेंगी. ऐसे में, जनवादी शक्तियों और प्रगतिशील लोगों को एक होकर जनता से तानाशाही और सांप्रदायिकता के विरूद्ध आदेश प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, एक ऐसा कारगर आदेश जो देश की वामपंथी तथा जनवादी शक्तियों के पक्ष में जाय. उपर्युक्त दोनों खतरों से लड़ने के लिए सभी पार्टियों—कांग्रेस, जनता, जनता (एस.), और सभी वामपंथी पार्टियों—की वामपंथी और जनवादी ताकतों को मिलकर एकजुट हो जाना चाहिए.

इस तरह की एकता की बुनियाद पहले से मौजूद है. यह बुनियाद ट्रेड यूनियन आंदोलन की लगातार बढ़ती एकता और मजदूरवर्ग तथा कर्मचारियों के संगठनों की लगातार मजबूत होती हुई एकता में देखी जा सकती है. इस बात का बहुत अधिक महत्व है कि जनता सरकारों के मजदूरविरोधी कदमों के खिलाफ हुए संघर्षों में उन ट्रेड यूनियनों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है जो जनता पार्टी के सदस्यों के प्रभाव में हैं. सीटू मजदूरवर्ग का आह्वान करती है कि देश के राजनीतिक भविष्य के निर्माण तथा तानाशाही की ताकतों से भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने में वह आगे बढ़कर अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाये. मजदूर वर्ग अपनी ताकत को मजबूत बनाये, हर क्षेत्र के लोगों में नयी जागृति आये और वे अपने आंदोलनों को शक्तिशाली बनायें, मजदूरवर्ग अपना पैगाम किसान जनता तक पहुंचाये—ताकि जब चुनाव हों तो उसे पूंजीपति जमींदार पार्टियों का झुनझुना न बनने दिया जाये, बल्कि चुनावों को लोकतंत्र और रोजी-रोटी के व्यापक संघर्ष का रूप दिया जा सके. जो कई पार्टियां लोकतांत्रिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, आगामी चुनाव में उनकी विजय होनी चाहिए और इस विजय में ट्रेड यूनियनों तथा कर्मचारियों की एकजुट ताकत को निर्णायक भूमिका अदा करनी चाहिए.

संयुक्त कार्यवाहियां रंग ला रही हैं

ऐसा समझा जाता है कि आल इंडिया रेलवेमेंज फेडरेशन (ए. आई. आर. एफ) ने रेलवे कर्मचारियों की बोनस समेत अन्य मांगों पर संयुक्त संघर्ष के लिए बातचीत करने के लिए 6 अगस्त 1979 को रेलवे के अगुवा संगठनों जैसे रेलवे एंप्लाईज कनफेडरेशन, ए. आई. एल. आर. एस. ए. वगैरह को बुलाया है. यह नोट करने की बात है कि एन. सी. सी. आर. एस. में शामिल कई संगठन पिछले साल से ऐसी मीटिंग बुलाने का आग्रह कर रहे थे. अभी तक भी एन. सी. आर. एस. के सभी भागीदार संगठनों को मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है. उम्मीद की जाती है कि 6 अगस्त को होने वाली मीटिंग आंदोलन में भाग लेने को तैयार सभी संगठनों को एकजुट करेगी जिससे जितना संभव हो उतना व्यापक संयुक्त मोर्चा बन सकेगा.

मीटिंग, कनवेंशन आदि

उत्तर पूर्वी रेलवे की लोको रनिंग स्टाफ ऐसोसिएशन ने अपनी वार्षिक बैठक 24-25 जून को गोरखपुर में आयोजित की. अन्य वक्ताओं सहित केंद्रीय सांगठनिक सचिव श्री एस. एम. प्रसाद ने सभा को संबोधित किया.

दक्षिण पूर्वी रेलवे की सिगनल एण्ड टेलीकाम स्टाफ ऐसोसिएशन ने अपनी वार्षिक बैठक 27-28 जून 1979 को बिलासपुर में आयोजित की. डेलिगेटों व स्थानीय मजदूरों ने डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन दिया. खुले अधिवेशन को अन्य वक्ताओं के अलावा कामरेड नृसिंह चक्रवर्ती ने संबोधित किया.

औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ 22 जुलाई को स्थानीय एन. सी. सी. आर. एस युनिट के तहत सहरसा में एक कनवेंशन हुई. इसमें कामरेड समर मुखर्जी एम. पी. को जिन्हें मुख्य अतिथी के तौर पर सभा में भाषण देना था नई दिल्ली में चल रहे सरकारी संकट के कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. काम. एम. एन. प्रसाद, बिहार की एन. जी. ओ के नेता योगेश्वर गोधे और सीटू की बिहार राज्य समिति के सचिव का. चण्डी प्रसाद ने सभा को सम्बोधित किया.

ए. आई. एल. आर. एस. ए की दिल्ली डिवीजनल शाखा ने 14-15 जुलाई को अपनी वार्षिक बैठक की, जिसने रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के संघर्ष को समर्थन दिया, और अपनी मांगों पर बीस प्रस्तावों को अपनाया. काम. अशोक गुप्ता फिर से डिविजनल सचिव चुने गए.

ई. एस. आई. सी. कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

अखिल भारतीय एंप्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन (ई. एस. आई. सी.) एंप्लाईज फैडरेशन के प्रतिनिधियों तथा डाइरेक्टर जनरल, ई. एस. आई. सी., के बीच हुई द्विपक्षीय समझौता-वार्ता के नतीजे के तौर पर 21 जून को समझौता वार्ता-कमेटी के बहुमत के आधार पर हुए निर्णय के अनुसार, जो कि उसी दिन केंद्रीय श्रम तथा संसदीय कार्यों के मंत्री श्री रवींद्र वर्मा से हुए बात के बाद हुआ फैडरेशन ने अपनी 3 जुलाई से चालू अनिश्चितकालीन हड़ताल वापिस ले ली है तथा ई. एस. आई. सी. के कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी काम पर हाजिर होने के लिए कहा है.

समझौते के अनुसार कुछ पदों के अपग्रेडेशन के लिए वेतन कमेटी की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जायेगा और ई. एस. आई. सी. में कुछ पदों के वेतन ढांचे में सुधार करने के लिए फेडरेशन से विचार-विमर्श कर एक विशेषज्ञ-कमेटी नियुक्त की जायेगी. यह भी फैसला हुआ कि धुलाई-भत्ता, सभी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता और छुट्टियों को नकदी के रूप में लेने आदि के बारे में करीब दो महीने में फैसला कर लिया जाएगा और हड़ताल के दिनों को भी छुट्टियों के रूप में माना जाएगा.

फेडरेशन सभी ट्रेड यूनियन संगठनों और 65 लाख बीमाकृत लोगों को उनके द्वारा संघर्षरत ई. एस. आई. सी. कर्मचारियों को दिए गए सक्रिय समर्थन तथा एकजुटता के लिए बधाई देती है. फेडरेशन अपने सभी सदस्यों को भी एक नया इतिहास बनाने के लिए बधाई देती है क्योंकि उन्होंने सारे देश में 19 दिन तक लगातार पूर्ण रूप से हड़ताल की.

कोयला लादने वाले मजदूरों का संघर्ष

कोयला ढोने और लादने वाले मजदूरों ने छटनी के खिलाफ और अन्य मांगों पर नन्दलाल (एस. सी. आर.) में में 2 से 9 जुलाई तक धरना आयोजित किया. एस. सी. रेलवे कर्मचारी संघ ने मजदूरों को पूरा समर्थन दिया.

सीटू प्रकाशनों का संकलन

सीटू के दिसंबर 1978 तक के सभी प्रकाशनों का संकलन एक किताब के रूप में उपलब्ध है. इसकी कीमत 8 रुपये है.

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय
6, **तालकटोरा रोड,**
नई दिल्ली-110001

वर्ष 1 अंक 8 अगस्त 1979

विशेष परिशिष्ट

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों के अखिल भारतीय कनवेंशन की घोषणा

19-20 जुलाई को बंगलौर में सार्वजनिक संस्थानों की ट्रेड यूनियनों की अखिल भारतीय कनवेंशन वेतन, निर्वाह स्थिति और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हाल में हुए हमलों के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त करती है. इसके साथ ही कनवेंशन यह बात नोट करती है कि सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सतझौता वार्ताओं के सवाल पर किए गए आश्वासनों के उल्लंघन से मजदूरों में भारी रोष फैल रहा है.

अभूतपूर्व जोश

नई दिल्ली में 15 मई को हुई सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की यूनियनों के अखिल भारतीय कनवेंशन ने समूचे देश में 28 जून, 1978 को एक दिन की हड़ताल करने का आह्वान किया था जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों में अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया था और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी यूनियनों ने एक होकर इसके लिए बड़े जोर-शोर से तैयारियां की थी. मजदूरों के जोश को देख कर सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें चार मंत्रियों ने भाग लिया था और जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा दी गई गाइड-लाइन लचीली होगी तथा उन पर समझौता वार्ता की जा सकती है. सरकार गाइड-लाइन को लागू करने से पहले उस पर विचार करने के लिए एक द्विपक्षीय मशीनरी बनाई जाने के लिए भी राजी हुई थी.

आश्वासन पूरे नहीं किये गये

परन्तु 26 जून, 1978 को जिस दिन अखिल भारतीय हड़ताल वापस ली गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को दिए गए वादों से केंद्रीय सरकार पीछे हट गई. 26 जून 1978 की मीटिंग के फैसलों की सूचना तक भी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को नहीं ही पहुंचाई गई. इसके साथ ही द्विपक्षीय मशीनरी बनाने में सरकार ने ढील ढाल की नीति अपनाई. ब्यूरो और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच बैठकें बेकार साबित हुई क्योंकि ब्यूरो के अफसरों ने किसी भी बात पर फैसला होने में अपनी असमर्थता जाहिर की.

महंगाई भत्ता जाम

ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने अपने आप ही सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के प्रमुखों को यह सरकुलर जारी कर दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में समझौता वार्ता के दौरान पुरानी गाइड-लाइन ही मान्य रहेंगी. इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि संयुक्त गाइड-लाइन की बात सिर्फ एक नाटक थी जो एकदम असफल साबित हुई. इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों में स्वाभाविक तौर से यह ख्याल पैदा हो गया कि सरकार और ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने धोखा दिया है. यह कनवेंशन सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को लागू न करने का सख्त विरोध करती है.

ब्यूरो द्वारा 1960 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति प्वाइंट वृद्धि पर केवल रु. 1·30 देने के आदेश के कारण कितनी ही द्विपक्षीय वेतन समझौता-वार्ताओं में महंगाई भत्ते की दरों के सवाल पर कोई समझौता नहीं हो पाया है. कई सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में नीचे स्तर पर भी भरपाई दर रु. 1·30 प्रति प्वाइंट वृद्धि से कहीं ज्यादा बैठती है. किंतु बी. पी. ई. और सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को इससे ज्यादा न देने पर जोर दिया है जिसका कुल मिलाकर मतलब यह है कि एक बड़ी संख्या में मजदूरों के लिए महंगाई भत्ता जाम कर दिया गया है. इससे मजदूरों के लिए महंगाई की भरपाई की दर पूरी भरपाई से कहीं कम हो जाती है तथा मजदूरों का वास्तविक जीवन स्तर बहुत नीचे गिर जाता है. ऐसे संस्थान जहां भरपाई की दर रु. 1·30 से ज्यादा दी जाती है सरकार ने उन्हें इसके मूल्य सूचकांक में रु. 1·30 प्रति प्वाइंट वृद्धि करने का आदेश दिया है. संयोग से यह भूतलिंगम पैदल की सिफारिश को लागू करने के समान है जिसे मुल्क के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने अस्वीकार कर दिया है.

अनेक दिक्कतें

बी. पी. ई. और सरकार का सार्वजनिक संस्थानों में द्विपक्षीय वेतन समझौता वार्ताओं में हस्तक्षेप लगातार जारी

है और ब्यूरो द्वारा जारी की गई सख्त गाइड लाइनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में सामूहिक सौदेबाजी को जारी रखने में अनेक दिक्कतें पैदा की हैं.

निर्वाह स्तर गिरा

गलत मूल्य सूचकांक जो बाजार में दामों की वास्तविक स्थिति को सामने रखने में नाकामयाब है ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बहुत कम कर दिया है जिसके कारण मजदूरों को हर महीने उनके जायज मंहगाई भत्ते में करोड़ों रूपयों का घोटाला कर के धोखा दिया जा रहा है. सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ठीक न करने से मजदूरों के वास्तविक जीवन स्तर में और भी गिरावट आई है.

बी. पी. ई. ने राष्ट्रीयकरण खत्म करने की सलाह दी

बी. पी. ई. अब सार्वजानिक क्षेत्र के संस्थानों के राष्ट्रीयकरण को खत्म करने और कुछ इकाइयों को वह बचत के नाम पर निजि क्षेत्र को सौंप देने की सलाह देने की चरम सीमा तक पहुंच गया है. सार्वजनिक क्षेत्र पर इस गहरे खतरे से कनवेंशन चिंतित है और सभी मजदूरों का आह्वान करती है कि इस हानिकारक प्रस्ताव का विरोध करें.

एल. आई. सी. व जनरल बीमा

जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.) के प्रबंधकों ने द्विपक्षीय समझौता वार्ता के दौरान वेतन कटौती और बोनस कटौती तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के महंगाई की भरपाई की दरों में कमी के सुझाव रखे और इस प्रकार 1974 में प्रबंधकों और यूनियन के बीच हुए समझौते द्वारा प्राप्त अधिकारों और सुवाधाओं को कम तथा वापस लिया जा रहा है.

कनवेंशन एल. आई. सी. के कर्मचारियों द्वारा वेतन, महंगाई भत्ते तथा बोनस पर नए हमलों के विरोध में 12 जुलाई को सफलता पूर्वक हड़ताल करने के लिए बधाई देता है.

जरनल इंश्योरेंस में अभी तक समझौता वार्ता शुरू नहीं हुई है और वहां भी कर्मचारियों को समझौता वार्ता के चालू होते ही ऐसे खतरनाक प्रस्तावों का सामना करना पड़ेगा. यहां तक कि इमरजैंसी में छीनी गई सुविधाओं को अभी तक भी बहाल नहीं किया गया है.

संयुक्त हड़ताल के लिए बधाई

कनवेंशन 6 लाख कोयला मजदूरों द्वारा द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सरकार और बी. पी. ई. द्वारा द्विपक्षीय समझौता वार्ता में हस्तक्षेप करने के विरोध में 5 फरवरी को की गई सफल संयुक्त हड़ताल करने के लिए बधाई देता है. यह 5 लाख बैंक कर्मचारियों को भी बधाई देता है जिन्होनें कई बार संघर्ष कार्यवाहियां की जो दिसम्बर के आखिर में दो दिन की हड़ताल के रूप में खत्म हुई. बी. एच. ई. एल. के 60 हजार कर्मचारियों ने बी. पी. ई. द्वारा प्रस्तावित वेतन से ज्यादा की मांग करते हुए 6 अप्रैल को टूल डाउन किया. कनवेंशन कई सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लाखों मजदूरों को बधाई देती है जिन्होंने वेतन समझौता वार्ताओं के दौरान अधिकारियों द्वारा पीछे हटने के खिलाफ कितनी ही बार सांकेतिक तथा अनिश्चितकालीन हड़तालें की हैं.

सभी के लिए बोनस

बोनस के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मजदूरों को इस आधार पर बोनस नहीं दिया जा रहा कि वे विभागीय संस्थान है तथा प्रकृति में अप्रतियोगी हैं या वे बेकार युनिट हैं अभी भी कुछ सार्वजनिक संस्थानों में बोनस एक्स-ग्रेशिया के रूप में मिलता है. इससे मजदूरों में भारी रोष फैल रहा है और वे बोनस बिना किसी पूर्व शर्त के सभी मजदूरों को देने की जायज मांग उठा रहे हैं.

सी. डी. एस. अध्यादेश की आलोचना

कनवेंशन हाल ही में अनिवार्य जमा योजना के भुगतान के 325 करोड़ रूपयों को न देने के लिए जारी किए गए अध्यादेश की आलोचना करती है. यह सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति को रोकने के नाम पर वादा खिलाफी की एक और मिसाल है.

कनवेंशन यह मांग करती है कि सरकार 15 अगस्त, 1979 तक पिछले दो सालों की जमा बकाया राशी का भुगतान करे अन्यथा ट्रेड यूनियनों के पास संघर्ष कार्यवाही के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा. यह कार्यवाही स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक संभव किसी रूप में फैक्ट्रीवाइज, लोकल, रीजनल कार्यवाही हो सकती है.

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला

इसके अलावा कनवेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों पर आक्रोश जाहिर करती है. औद्योगिक संबंध विधेयक जिसकी मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों ने निंदा की है अभी तक वापस नहीं लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई उद्योग की परिभाषा को नजरअन्दाज किया जा रहा है और मजदूरों और कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से को ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है. औद्योगिक विधेयक के खिलाफ 19 नवम्बर को नई दिल्ली में हुई कवेंनशन की औद्योगिक संबंध विधेयक को वापस लेने की मांग को नजर-अन्दाज कर लागू करने की कोशिश की जा रही है. यह कनवेंशन निवारक नजरबंदी कानून को लागू करने की संभावना पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती हैं जिसका औद्योगिक झगड़ों के दौरान ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना मुमकिन है.

सरकारी नीतियां जिम्मेदार

कनवेंशन यह समझती है कि मौजूदा हालात के लिए सरकार गलत नीतियां ही मुख्य तौर पर जिम्मेदार है. सर्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के प्रति ऐसा व्यवहार सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को चलाने के लिए अफसरशाही पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से पैदा होता है.

इन संस्थानों में औद्योगिक संबंध नीति किसी भी

रूप में निजी क्षेत्र के संस्थानों से भिन्न नहीं है. सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को चलाने वाले अफसरों की इनके प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है जिसके कारण राष्ट्रीय राजकोष को हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है. भ्रष्टाचार और गलत प्रशासन ने भी इसमें हाथ बटाया है. प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की बात के बावजूद असलियत में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासन में मजदूरों की नाममात्र के लिए ही पूछ है. सार्वजनिक क्षेत्र में अभी भी ठेके पर काम और कैजुअल लेबर की प्रथा चली आ रही है जिससे जहां मजदूरों का शोषण होता है वहां सरकारी कोष को भी नुकसान उठाना पड़ता है. यह कनवेंशन सार्वजनिक संस्थानों में मौजूदा हालात पर भारी चिन्ता व्यक्त करता है और इसके प्रशासन में आमूल परिवर्तन की मांग करता है ताकि इसमें मजदूरों की भागीदारी का भी कुछ मतलब हो. यह कनवेंशन इसलिए मांग करता है कि :

1. सार्वजनिक क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौतावार्ताओं में ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अधिनायकवादी दखलअंदाजी को खत्म किया जाए.

2. महंगाई भत्ते में रु. 1·30 प्रति प्वाइंट से ज्यादा देने पर पाबंदी को खत्म किया जाए और हर कैटेगेरी के मजदूरों को मंहगाई सूचकांक में वृद्धि की पूरी भरपाई की गारंटी दी जाए.

3. जहां सरकार के निर्देशों के कारण ट्रेड यूनियनों से समझौता वार्ताएं स्थगित कर दी गई थीं उनको फिर से तुरंत चालू किया जाए.

4. औद्योगिक संबंध विधेयक को और हस्पतालों तथा शिक्षा संस्थाओं से संबंधित बिल को वापिस लिया जाए और सभी मजदूरों को उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों की गारंटी दी जाए.

5. तेल और एल. आई सी. तथा अन्य संस्थानों में वेतन, बोनस, मंहगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों में कटौती को तुरंत खत्म किया जाए.

6. अनिवार्य जमा योजना अध्यादेश को वापिस लिया जाए तथा बकाया जमा राशि का 15 अगस्त 1979 से पहले भुगतान किया जाए.

7. उपभोक्ता मूल्य सूचनांक में धांधली को बिना किसी देरी के खत्म किया जाए.

8. सभी मजदूरों को बिना किसी पूर्वशर्त तथा पाबंदी के बोनस का भुगतान किया जाए.

राष्ट्रीय स्तर पर अभियान

यह कनवेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की सभी ट्रेड यूनियनों से चाहे वे किसी से भी संबंधित क्यों न हो अपील करती है कि वे इन राष्ट्रीय मांगों पर सभी मजदूरों को संगठित करें और सरकार को इन मांगों को बिना किसी देरी के मानने के लिए मजबूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएं.

इन मांगों को हांसिल करने के लिए कनवेंशन ने निम्नलिखित कार्यक्रम को लागू करने का फैसला लिया है.

13 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का 'मांग-दिवस' मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में संयुक्त प्रदर्शन आयोजित करके मनाया जाएगा.

20 अगस्त को भारी प्रदर्शनों सहित सभी यूनियनों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के प्रबंधकों को हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा.

14 सितम्बर को सारे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में एक दिन की हड़ताल का आयोजन किया जाएगा.

संघर्ष समिति बनी

कनवेंशन यह निर्णय लेती है कि सार्वजनिक क्षत्र के मजदूरों की एक संघर्ष समिति बनाई जाए, जिसमें सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से दो प्रतिनिधि हों जो इन मांगों पर आन्दोलन करेगी और परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर निर्णय लेगी तथा सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत ट्रेड यूनियनों को उपयुक्त कार्यवाहियां करने के लिए सलाह देगी.

संयुक्त कार्यक्रम में भाग लेने की अपील

कनवेंशन सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से और सार्वजनिक संस्थानों की सभी ट्रेड यूनियनों से तथा जो इस कनवेंशन में हिस्सा नहीं ले पाई हैं इन सभी से कनवेंशन में तय किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील करती है ताकि सार्वजनिक संस्थानों के मजदूर वर्ग की जबरदस्त आवाज सरकार को ये मांगें मानने को मजबूर कर दे.

रिजर्व बैंक कर्मचारियों की हड़ताल तथा औद्योगिक संघर्ष पर पाबंदी के अध्यादेश पर प्रस्ताव

19-20 जुलाई 1979 को बंगलोर में हुई सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों की यह अखिल भारतीय कनवेंशन केंद्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के जायज ट्रेड यूनियन संघर्ष को दबाने के लिए कड़े दमनात्मक रवैया अपनाने की निन्दा करती है.

यह अध्यादेश लोकतंत्र के सभी तौर-तरीकों को तोड़ती है चूंकि इससे बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है तथा जेल या जुर्माना या दोनों ही कार्यवाहियां की जा सकती हैं. इस अध्यादेश के द्वारा सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, चार्ज शीटें, निलम्बन और दूसरी तरह की सजा देने वाली कार्यवाहियां की हैं और वेतन के झगड़े को किसी औपचारिक कार्यवाही का पूरा किये बगैर एडजूडिकेशन को सौंप दिया है.

इस कनवेंशन की समझ है कि इस अध्यादेश को लागू करना एक खतरनाक शुरुआत है और अपने हकों को बनाये रखने तथा वेतन बढ़ोतरी के लिए जायज संघर्ष कर रहे मजदूरों पर एक खतरा पैदा करता है.

यह कनवेंशन मांग करती है कि इस अध्यादेश को तुरंत रद्द किया जाए, गिरफतार किए गये सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, सभी केसों को वापस लिया जाए, सभी दण्डनीय कार्यवाहियां खत्म की जाए और वेतन वृद्धि के सवाल मेज पर आपने सामने बैठ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी पूर्वशर्त के तय किया जाए.

ई. एस. आई. के मजदूरों की मांगों के समर्थन में प्रस्ताव

सार्वजनिक संस्थानों की ट्रेड यूनियनों की 19-20 जुलाई को बंगलौर में हुई आखिल भारतीय कनवेंशन ई. एस. आई. कार्पोरेशन के 11000 कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का तहे-दिल से समर्थन करती है. ये 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

केन्द्रीय सरकार ने उनकी वेतन वृद्धि और काम की शर्तों में सुधार की मांग का मानने की बजाय ई. एस. आई. कर्मचारियों को परेशान करने की नीति अपना रखी है जिससे ई. एस. आई. के अंतर्गत बीमाकृत लाखों मजदूरों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

कनवेंशन यह मांग करती है कि केन्द्रीय सरकार तुरंत ई. एस. आई. कर्मचारियों से समझौता-वार्ता चालू करे और लम्बे अरसे से चले आ रहे मुद्दों को बिना किसी देरी को तय करें.

कनवेंशन सभी यूनियनों से अपील करती है कि ई. एस. आई. कर्मचारियों की परीक्षा की घड़ी में पूरी तरह से साथ दें.

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की 14 सितंबर को हड़ताल

19 और 20 जुलाई को बंगलौर में सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रड यूनियनों के अखिल भारतीय कनवेंशन में भाग ले रहे लगभग 900 डेलीगेटों और प्रेक्षकों ने एक आठ-सूत्री मांग के साथ घोषणा अपनायी और समूचे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का संघर्ष के क्रमबद्ध कार्यक्रम को, जिसके अंत में 14 सितंबर को एक दिन की हड़ताल होगी, कार्यान्वित करने का आह्वान किया.

13 अगस्त 1979 को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का मांग दिवस मनाया जाएगा और इस दिन घोषणा के समर्थन में जुलूस और रैलियां आयोजित की जाएंगी. 29 अगस्त को प्रदर्शन द्वारा स्थानीय प्रबंधकों को संयुक्त हड़ताल के नोटिस दिए जाएंगे.

कनवेंशन को मांगों में द्विपक्षीय समझौता वार्ता में ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज को दखलअंदाजी खत्म किए जाने, सभी स्तरों पर मंहगाई सूचकांक की पूरी भरपाई, औद्योगिक संबंध और संलग्न विधेयकों को वापस लिए जाने, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के गलत संकलन को ठीक करने, वेतन, मंहगाई भत्ते, बोनस व अन्य भत्तों में कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने, सभी मजदूरों को बोनस दिया जाने तथा जबरन जमा योजना अध्यादेश को वापस लेने की मांगें शामिल हैं.

कनवेंशन ने रिजर्व बैंक में हड़ताल पर रोक लगाने वाले अध्यादेश की आलोचना की और इसके वापस लिए जाने की मांग की. एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा इसने ई. एस. आई. सी. कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन किया. ये कर्मचारी 3 जुलाई से हड़ताल पर थे.

कनवेंशन के संचालन के लिए एक अध्यक्ष मंडल निर्वाचित हुआ जिसके मदन फडनिस (सीटू), के. जी. श्रीवास्तव (एटक), एस. वेकटराम (एच. एम. एस.), ए. एन. साठ्ये (बी. एम. एस.), अनिल दास चौधरी (यू. टी. यू. सी.) प्रितीशचंद (यू. टी. यू. सी. ले. स.) और के. एस. कृष्णन (संयोजक, स्वागत समिति) सदस्य थे.

कनवेंशन ने ट्रेड यूनियन आंदोलन के दिवंगत नेताओं व शहीदों को एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की.

केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं में, जिन्होंने कनवेंशन को संबोधित किया कामरेड एम. के. पंधे (सीटू), शांति पटेल (एच. एम. एस.), के. जी श्रीवास्तव (एटक), राम नरेश सिंह (बी. एम. एस.) और मोतिश राय (यू. टी. यू. सी.) शामिल हैं.

सरकार को कर्मचारियों की मांगें मानने के लिए मजबूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की एकता की जरूरत पर सभी 80 डेलीगेटों ने, जिन्होंने बहस में भाग लिया, जोर दिया.

बंगलौर में 20 जुलाई को सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों द्वारा कई जुलूस निकाले गए और कुब्बान पार्क में एक विशाल रैली आयोजित की गई जिसमें कनवेंशन के फैसलों को बताया गया.

सीटू के नए प्रकाशन

(अंग्रेजी में)

'दि सीटू रिजाल्व्ज इन मद्रास'

[चौथे सम्मेलन की समीक्षा और प्रस्ताव]

मूल्य : तीन रुपये

फाइट यूनाइटिड्ली इन दी काज आफ इंडियन वर्किंग वूमेन

मूल्य : दो रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001.

इस्पात उत्पादन में गिरावट क्यों ?

जब इस्पात समझौते के बारे में बातचीत चल रही थी तब तत्कालीन इस्पातमंत्री श्री बीजू पटनायक ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते में एक ऐसी धारा होनी चाहिए जिससे उत्पादन में बाधा डालने वाले मजदूरों को सख्त सजा दी जा सके और यूनियन यह आश्वासन दे कि वह ऐसे मजदूरों के केसों को हाथ में नहीं लेगी जिनके खिलाफ प्रबंधकों ने कोई कार्यवाही की है. सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस धारा का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की. इस्पात मंत्री द्वारा अचानक यह मांग रखने पर समझौता वार्ता आगे न बढ़ सकी.

लेकिन ट्रेड यूनियन आंदोलन की इस प्रश्न पर एकता को देख कर इस्पात मंत्री को इसे छोड़ना पड़ा और समझौते पर इस धारा के बिना हस्ताक्षर हो गए.

प्रबंधकों द्वारा दिए गए कारण

फिर भी ट्रेड यूनियनों ने सलाह दी कि वे अधिकारियों और प्रबंधकों से इस्पात उत्पादन में रुकावट के कारणों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं. समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद एस. ए. आई. एल प्रबंधकों द्वारा 9 और 10 जुलाई को इस्पात उद्योग में उत्पादन में गिरावट पर बातचीत करने के लिए एक बैठक आयोजित की गयी. श्री बीजू पटनायक ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में इस प्रतिकूल झुकाव पर चिंता प्रकट की. एस. ए. आई. एल. के अध्यक्ष डा. पी. एल. अग्रवाल ने उत्पादन में कमी के कारणों पर चर्चा करते हुए कोकिंग कोल की कम सप्लाई, पावर की कमी और रेल यातायात में अड़चनों को उत्पादन में गिरावट के कारणों में प्रमुख बताया. उन्होंने औद्योगिक संबंधों, हड़ताल, धीरे काम करो और अनुशासनहीनता आदि की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए इन्हें भी उत्पादन में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया.

उत्पादन में कटौती

प्रबंधकों के कहने के अनुसार पिछले साल इस्पात प्लांटों के असंतोषजनक काम की वजह से 1979-80 के उत्पादन लक्ष्य में कटौती करनी पड़ी है.

एस. ए. आई. एल. प्लांटों के लक्ष्यों के आंकड़े इस प्रकार हैं.

ढला हुआ इस्पात	1978-79 लक्ष्य	1978-79 वास्तविक	1979-80 लक्ष्य
		'000' टनों में	
भिलाई	2400	2200	2300
दुर्गापुर	1250	945	1250
राउरकेला	1550	1319	1420
बोकारो	2050	1195	1730
आई. आई. एस. सी. ओ.	756	628	700
अलाय स्टील प्लांट	100	97	97
बिक्री के लिए इस्पात			
भिलाई	1935	1846	1900
दुर्गापुर	1000	776	1000
राउरकेला	1140	1042	1172
बोकारो	1482	931	1377
आई. ई. एस. सी. ओ.	600	481	550

दुर्गापुर में क्षमता से कहीं ज्यादा का लक्ष्य

हालांकि सभी इस्पात प्लांटों के उत्पादन के लक्ष्यों को कम किया गया है पर दुर्गापुर के स्टील प्लांट के उत्पादन के लक्ष्य को पिछले साल के समान ही रखा गया है. मीटिंग में भाग ले रहे सीटू के प्रतिनिधियों ने इसकी ओर ध्यान दिलाया व इस भय को भी व्यक्त किया कि प्लांट की वास्तविक क्षमता को ध्यान में रखे बगैर लक्ष्य को ज्यादा रखने से प्लांट के कार्य के बारे में गलत ख्याल पैदा होता है और दुर्गापुर के मजदूरों के खिलाफ राय बनाने की कोशिश की जा सकती है.

प्रबन्धकों की नीतिया जिम्मेदार

सीटू के सचिव का. एम. के. पंधे ने वार्ता के दौरान इस बात की तरफ भी इशारा किया कि अगर इस्पात मंत्री द्वारा 1977 में बनाए गये छः अध्ययन दलों की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार ने गंभीरता से कदम उठाये होते तो उद्योग के सामने मौजूदा कठिनाइयों में से काफी कठिनाइयां इतना गंभीर रूप नहीं लेती. उन्होंने इस बात का खण्डन किया कि मजदूर उत्पादन में रुचि नहीं लेते हैं और इस बात की तरफ भी इशारा किया कि इस्पात उत्पादन में गिरावट के लिए प्रबन्धकों की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, उन्होंने देश में कोकिंग कोल की उत्पादन-क्षमता की पूरी तरह खोजबीन करने की बजाए विदेशों से कोकिंग कोल मंगाने की आलोचना की.

देर करने की नीति

कामरेड ए. दक्षी ने बताया कि अलाय स्टील प्लांट में झगड़ों को सालों तक लटकाया जाता रहा और प्रबंधकों की औद्योगिक संबंधी नीति बहुत ही देर करने वाली थी जिसने मजदूरों को

[शेष पृष्ठ बारह पर]

डिफेंस कर्मचारियों का प्रदर्शन

कलकत्ता के पास इचापुर, आर्डिनेंस फैक्ट्री के पांच हजार से भी ज्यादा मजदूरों और कर्मचारियों ने इचापुर आर्डिनेंस फैक्ट्री मजदूर यूनियन के तीसवें वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रैली में भाग लिया. पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री कामरेड कृष्णपद घोष तथा सीटू उपाध्यक्ष कामरेड मुहम्मद इस्माइल ने रैली तथा सभा में भाषण दिये. डिफेंस कर्मचारियों की मांगों का उन्होंने समर्थन किया और आल इंडिया डिफेंस एंप्लाईज एसोसिएशन के आह्वान पर 13 अगस्त को होने वाली अखिल भारतीय सांकेतिक हड़ताल का पूरा समर्थन करने का आश्वासन दिया.

कपड़ा मजदूरों की जीत

कलकत्ता के पास विद्यासागर कपड़ा मिल के मजदूरों की तीन महीने से चली आ रही हड़ताल 14 जून को समाप्त हो गई. मैनेजमेंट ने मजदूरों की अधिकतर मांगें स्वीकार कर ली हैं और एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं, सीटू यूनियन के नेतृत्व में यह हड़ताल 12 मार्च से शुरू हुई थी.

हिंदुस्तान मोटर्स के कर्मचारी हड़ताल पर

मजदूरों को कोई नोटिस दिये बगैर बिड़ला की हिंदुस्तान मोटर्स फैक्ट्री ने 24 जून से अपने आटोमोबाइल विभाग में तालाबंदी घोषित कर दी. फैक्ट्री के 16,000 मजदूरों में से 10,000 मजदूर आटोमोबाइल विभाग में काम करते हैं. हिंदुस्तान मोटर वर्कर्स यूनियन (सीटू) के अध्यक्ष कामरेड दिनेन भट्टाचार्य, एम. पी., तथा पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव कामरेड मनोरंजन राय ने इस गैर-कानूनी तालाबंदी की कड़ी निंदा की है और इसे तुरन्त खत्म करने की मांग की है. गैर-कानूनी तालाबंदी के विरुद्ध सीटू यूनियन के नेतृत्व में मजदूर 27 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

ए. वी. बी. दुर्गापुर के मजदूरों की लगातार हड़ताल

दुर्गापुर में ए. वी. बी. फैक्ट्री के मजदूर कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में इंजीनियरिंग वेतन समझौते को लागू कराने, निकाले गये कर्मचारियों को काम पर वापस लेने और मकान सुविधा आदि की मांगों को लेकर 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. प्रबन्धकों के अड़ियल रवैये की वजह से पिछले दो साल से चल रही द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय वार्ता से कुछ हल नहीं निकला जिसके कारण मजदूर हड़ताल करने के लिए मजबूर हुए.

पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव कामरेड मनोरंजन राय ने एक बयान में ए. वी. बी. के कर्मचारियों की हड़ताल व मांगों को पूरा समर्थन दिया है.

इंडियन आक्सीजन मजदूरों की सांकेतिक हड़ताल

पश्चिम बंगाल में इंडियन आक्सीजन कंपनी की विभिन्न युनिटों के मजदूरों ने 21 जून को सफल सांकेतिक हड़ताल की. मुख्य मांग नये वेतनमान तय करने की थी. लंबी बातचीत के बाद एक अक्टूबर 1978 से नए वेतनमान लागू करने की मांग मैनेजमेंट ने मान ली थी. लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने अड़ियल रवैया अपनाया तथा नए वेतनमान लागू करने की बजाए घाटे का बहाना लेकर वेतन में कटौती का प्रस्ताव रखा. कई महीनों की असफल बातचीत के बाद मजदूरों को सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी. हड़ताल से पहले डेप्यूटेशन, काम रोको तथा प्रदर्शन आदि आयोजित किये गये थे.

एम. ए. एम. सी. के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल

माइनिंग तथा अलाइड मशीनरी कार्पोरेशन दुर्गापुर के मजदूरों ने 20 जून को अपने 44 सूत्री मांग-पत्र के समर्थन में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की. मांग पत्र में वेतन वृद्धि, वेतनमानों में संशोधन करने तथा ट्रेनीज तथा स्थायी कामों में लगे ठेका मजदूरों को स्थायी करने और मकान किराया भत्ता आदि मांगे शामिल हैं. हड़ताल का संयुक्त आह्वान सीटू व इंटक यूनियनों और एच. ई. सी. वर्कर्स यूनियन ने किया था. हड़ताल संपूर्ण तथा पूरी तरह सफल रही.

ए. ई. आई. के मजदूरों की के सांकेतिक हड़ता ल

ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी जी. ई. सी. की इकाई एसोसिएटिड इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज के मजदूरों ने दस मजदूरों को गैर-कानूनी ढंग से मुअत्तिल करने और तीन के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का विरोध करते हुए और इंजीनियरिंग समझौते को लागू करने की मांग करते हुए 27 जून को सांकेतिक हड़ताल की. हड़ताल का आह्वान ए. ई. आई. (मैन्युफैक्चरिंग डिविजन) एंप्लाईज यूनियन ने किया था. हड़ताल पूरी तरह सफल रही. हाल ही में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद मैनेजमेंट ने केवल समझौता लागू करने में जानबूझ कर देर कर रही है बल्कि बदला लेने का रवैया अपना लिया है. मुअत्तिल करने तथा चार्जशीटें देने के अलावा विभिन्न बहानों से अनेक मजदूरों के वेतन में कटौती कर दी गई है.

रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन

बैंक अधिकारियों की कर्मचारी-विरोधी नीतियों के खिलाफ रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन व उसके साथ एकता व्यक्त करने के लिए पश्चिम बंगाल में जन संगठन बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं. मजदूरों, कर्मचारियों और अध्यापकों के संगठन, 12 जुलाई कमेटी, के आह्वान पर कलकत्ता में 4 जुलाई को एक विशाल प्रदर्शन व रैली

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

रिजर्व बैंक कर्मचारियों का अध्यादेश के बावजूद संघर्ष जारी

मनमाने ढंग से थोपे गए नेशनल ट्रिब्युनल के बावजूद भी रिजर्व बैंक कर्मचारियों का नियमानुसार काम आंदोलन जारी है. भारत सरकार ने संसदीय अधिवेशन के शुरू होने से ठीक पहले एक अध्यादेश जारी करके इस कटिबद्ध प्रतिरोध के दमन की कोशिश की. वह अध्यादेश न केवल आर. बी आई. में हड़ताल पर ही रोक लगाता है बल्कि यह पुलिस अफसरों को इतनी ज्यादा शक्तियां देता है कि यदि उन कर्मचारियों के अलावा जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर यह शक भी हो जाए कि वह आर. बी. आई के कर्मचारियों के आंदोलन की सहायता कर रहा है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए. ओवर टाइम काम करने से इंकार करना भी हड़ताल की परिभाषा में शामिल किया गया है.

संसद में, सभी लोकतांत्रिक दलों ने इस अध्यादेश का विरोध किया जिसके कारण जनता पार्टी अकेली पड़ गई. लोक सभा में सी. पी. आई. (एम) दल के नेता तथा सीटू के कोषाध्यक्ष, कामरेड समर मुखर्जी ने सरकार के इन घटिया दर्जे के कामों का संसद में भण्डाफोड़ किया और इन्हें मजदूर वर्ग विरोधी बताया. उन्होंने आगे कहा कि आर. बी. आई. कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हैं बल्कि वे नियमानुसार तथा मैनुअल के अनुसार काम कर रहे हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि आर. बी. आई. कर्मचारियों को मैनुअल के अनुसार काम करने का अधिकार है जिसके बावजूद भी भारत सरकार ने इस अध्यादेश द्वारा इस आंदोलन के दमन की नीति अपनाई. उन्होंने कहा कि यह और कुछ नही बल्कि एकतरफा पद्धति को फिर से लागू करना है. इसके बाद, इस अध्यादेश के में सी. पी. आई. (एम.) ने सदन से वाक आउट किया. राज्य सभा में सीटू के महासचिव का० पी. राममूर्ति ने कहा कि आर. बी. आई. कर्मचारियों के विरुद्ध अपनाये गये तरीके संसद का घोर अपमान है तथा यह तानाशाही पद्धति की वापसी है.

सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी उस अध्यादेश का विरोध किया. इसी बीच, आर. बी. आई. यूनियन के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को जगह-जगह पुलिस ने तलाश करना और गिरफ्तार करना शुरू किया. जिसके कारण आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और जयपुर व दिल्ली में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की गिरफ्तारियां शुरू हुई. रिजर्व बैंक के पार्लियामेंट स्ट्रीट आफिस से 118 कर्मचारियों, जिसमें 67 महिला कर्मचारी भी थी, गिरफ्तार किया गया, और जययुर में 138 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया.

आल इंडिया रिजर्व बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने ट्रिब्युनल और अध्यादेश के कानूनी होने को चुनौती दी और ट्रिब्युनल तथा अध्यादेश के विरुद्ध कोर्ट से निर्देश पा लिया.

इस प्रकार, इस आंदोलन ने एक नया जोश प्राप्त कर लिया है और आर. बी. आई. कर्मचारियों के संघर्ष के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है.

श्रम मंत्री द्वारा इस विशेष स्थिति में हस्तक्षेप करने पर मैनेजमैंट ने. ए. आई. आर. बी. ए. के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की. यह रिपोर्ट आगे साफ तौर से कहती है कि मैनेजमेंट अभी भी अटल है और वह कुछ कर्मचारियों को मुअत्तिल किए जाने वाले आदेश वापस लेने के खिलाफ है.

कर्मचारियों के विरुद्ध थोपे गये केसों तथा मुअत्तिल आदेशों को वापस लिए जाने की मांग के अलावा मेज पर आमने-सामने मांग-पत्र पर बातचीत करने की मांग के साथ ए. आई. आर. बी.ई.ए. का आंदोलन अभी भी जारी है.

सीटू द्वारा मांग

अध्यादेश वापस लो

गिरफ्तार कर्मचारियों को रिहा करो

सीटू अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने 13 जून को जारी किए गए एक बयान में रिजर्व बैंक कर्मचारियों को, जो 16 मई से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बधाई दी है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्या हल करने के बदले प्रबंधकों ने कर्मचारियों को विक्टिमाइज करके स्थिति को और गंभीर बना दिया है. रिजर्व बैंक अध्यादेश, 1979, की निर्दयी शक्तियों से लैस होकर रिजर्व बैंक की मैनेजमेंट ने कर्मचारियों का अभूतपूर्व दमन किया. कई केंद्रों में कर्मचारियों की बिना वारंट अविवेकपूर्ण गिरफ्तारियां की गईं. दिल्ली में 13 जून को बंबई तथा मद्रास में कर्मचारियों को मुअत्तिल किये जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 67 महिलाओं सहित 111 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया. विभिन्न केंद्रों में लगभग 50 कर्मचारियों को झूठे इल्जाम लगाकर मुअत्तिल किया गया है. रिजर्व बैंक मैनेजमेंट की इन कार्यवाहियों की सीटू कड़ी निंदा करती है.

कामरेड रणदिवे ने कहा कि सीटू सरकार से मांग करती है कि यह कारण अध्यादेश वापस लिया जाए और गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को तुरंत रिहा किया जाय. और उनके खिलाफ मामलों को वापस लिया जाए. सीटू केंद्रीय सरकार को जोरदार शब्दों में रिजर्व बैंक मैनेजमेंट को यह आदेश देने के लिए कहती है कि मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों को काम पर तुरंत वापस ले ताकि रिजर्व बैंक कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था आल इंडिया रिजर्व बैंक एसोसिएशन के साथ लंबे अरसे से चली आ रही मांगों की बातचीत के लिये एक अच्छा वातावरण पैदा हो सके.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 65वां सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 65वां अधिवेशन जेनेवा में 6 से 27 जून 1979 को हुआ.

इस अधिवेशन का भारतीय मजदूरों की दृष्टि से विशेष महत्व है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार गैर-इंटक प्रतिनिधि डेलिगेट निर्वाचित हुआ था. 1977-78 के दौरान, कांग्रेस पार्टी के चुनाव में हार जाने के बावजूद भी जनता सरकार ने इंटक के प्रतिनिधि को ही आई. एल. ओ. का डेलिगेट बनाये रखा, लेकिन इस साल सरकार ने एच. एम. एस. के अध्यक्ष एस. वेकटराम को डेलिगेट नामजद किया, इंटक ने प्रतिनिधि-मंडल का बहिष्कार किया जबकि अन्य चार ट्रेड यूनियनों, एच. एम. एस., सी. आई. टी. यू., एटक और बी. एम. एस., ने आई. एल. ओ. सम्मेलन के लिए बारी-बारी से सभी के डेलीगेट चुने जाने के सिद्धांत को स्वीकार किया. एटक आखिरी समय पर प्रतिनिधि-मंडल में शामिल नहीं हुई और अप्रत्यक्ष रूप से इंटक की सहायता की. अन्त में, एच. एम. एस. सीटू और बी. एम. एस. ही प्रतिनिधि-मंडल में शामिल हुए. इंटक के नेता श्री कान्ति मेहता, जो आई. एल. ओ. की गवर्निंग बाडी के सदस्य हैं, ने जेनेवा में रह कर भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के विरुद्ध प्रचार किया.

श्रम मंत्री, श्री रवींद्र वर्मा इस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए. 1951 के बाद भारत को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ.

आई. एल. ओ. की स्थापना की 60वीं जयंती के अवसर पर 130 देशों ने भाग लिया.

गोदी मजदूर : अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था

इस कनवेंशन में गोदी कर्मचारियों की दुर्घटनाओं से रक्षा करने से संबंधी पहली कनवेंशन को संशोधित करते हुए सम्मेलन ने एक कनवेंशन को अपनाया. पहली कनवेंशन 1932 में अपनायी गयी थी. इस अधिवेशन में गोदी के आधुनिकीकरण को तथा अतिरिक्त सुरक्षात्मक कदमों को मध्येनजर रखते हुए गोदी मजदूरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान की गई है.

सड़क-यातायात

इस अधिवेशन मे, सड़क-यातायात उद्योग में काम करने के घंटे और आराम के समय से संबंधित कनवेंशन अपनाई गई है. यह कनवेंशन काम के घंटों में कटौती प्रदान करती है. इसके अनुसार, वाहन चलाने के "ज्यादा से ज्यादा घंटे अतिरिक्त घंटों को मिलाकर एक दिन में नौ से अधिक नहीं होने चाहिए और न ही एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक." यह कनवेंशन आगे कहती है कि, किसी भी चालक को लगातार 4 घंटों से अधिक बिना रुके वाहन नहीं चलाने दिया जायेगा. केवल खास मौकों पर यह एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है.

वृद्ध मजदूरों के बारे में

इस अधिवेशन में बूढ़े, लोगों की काम करने की स्थिति और उनके रिटायर होने के बाद की सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई. आई. एल. ओ. के अगले अधिवेशन में इस विषय पर मसविदा पेश किया जायेगा.

बेरोजगारों की समस्या पर विचार

इस अधिवेशन में, विश्व-रोजगार कनवेंशन के बाद करने वाले कामों के तथा जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की फौरी जरूरत के बारे में भी विस्तार से विचार किया गया. विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने बहस के दौरान विकसित देशों द्वारा सभी विकासशील देशों पर मंडराने वाली बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए विकासशील देशों को उचित सहायता देने से इंकार करने की कडी आलोचना की. विकसित पूंजीवादी देशों ने भी अपने देशों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का उल्लेख किया और भविष्य में इसके और बढ़ने का भय व्यक्त किया. केवल समाजवादी देश ही बेरोजगारी की समस्या से मुक्त हैं. अनेक वक्ताओं ने यह भी कहा कि यदि बेरोजगारी को इसी दर से बढ़ने दिया गया तो 20 वर्षों में स्थिति भयंकर हो जायेगी.

रंगभेद की बाबत

आई. एल. ओ. के 1964 में हुए 40वें अधिवेशन द्वारा अपनाई गई दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद की नीति संबंधी घोषणा के कार्यान्वयन पर डायरेक्टर जनरल की विशेष रिपोर्ट पर विचार किया गया. कई वक्ताओं ने, खासतौर से, एशियाई, अफ्रीकी, लेटिन अमेरिकी और समाजवादी देशों ने उन देशों की कड़ी आलोचना की जो संयुक्त राष्ट्र संगठन (यू. एन. ओ.) और आई. एल. ओ. के बार-बार मना करने के बावजूद भी दक्षिण अफ्रीका के साथ गुप्त रूप से व्यापार संबंध रखते हैं.

अरब देश

दुनिया के मजदूरों की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में कई प्रस्ताव इस अधिवेशन में पास किये गये. आई. एल. ओ. में अरब-भाषा के प्रयोग के बारे में प्रस्ताव पर भी विस्तार से विचार किया गया जिसे कई विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त हुआ. जब भारतीय प्रतिनिधि ने प्रस्ताव कमेटी में अरब लोगों की मांगों का समर्थन किया तब अरब देशों के प्रतिनिधि इस पर काफी प्रसन्न हुए. उन्हें याद आया कि आई. एल. ओ के पिछले अधिवेशन में जब आई. एल. ओ. के 59-वें अधिवेशन के 'इसराइल के अधिकारियों द्वारा कब्जाए गए अरब क्षेत्रों व फिलिस्तीन में भेदभाव की नीति, रंग भेद और ट्रेड यूनियनों की स्वतंत्रता व अधिकार पर दमन, के बारे में प्रस्ताव को कार्य रूप देने पर विचार हो रहा था, तब भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि (इंटक) ने अपना मतदान इस बहाने से नहीं किया कि प्रस्तावना का पैरा तीन जरूरी नहीं है. यह आश्चर्य की बात है कि भारत की सरकार ने तो अरब-प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि ने मतदान मे हिस्सा नहीं लिया.

बाल श्रमिकों पर : बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उसके अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त करने के बारे में उचित उपाय सुझाते हुए इस अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव अपनाया गया. यह प्रस्ताव सब सरकारों को जल्दी ही कुछ ऐसे उपाय करने का आह्वान करता है जिससे बच्चों की कार्य करने की स्थिति को सुधारा जा सके और यह कुछ ऐसे भौतिक उपाय खोजने को कहता है जिससे जितनी जल्दी हो सके बाल-श्रमिक प्रथा समाप्त की जा सके.

अन्य प्रस्ताव : इस अधिवेशन में, अपंग व्यक्तियों, आई. एल. ओ. के औद्योगिक संबंधों में सुधार कार्यक्रम व तकनीकी सहोयोग कार्यक्रम में विकास पर भी प्रस्ताव पास किए गए.

इंटक की मांग अस्वीकृत

क्रेडेंशियल कमेटी ने, जिसमें इंटक द्वारा भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि-मंडल को चुनौती देते हुए की गई शिकायत पर ध्यानपूर्वक विचार किया, मौजूदा प्रतिनिधि-मंडल को मान्यता दी और इंटक की प्रतिनिधि-मंडल को पदच्युत करने की मांग को अस्वीकार कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार "कमेटी ने यह फैसला लिया कि यह इस साल इस शिकायत पर विचार नहीं करेगी" इस कमेटी ने केवल एक संकेत दिया कि जब सभी ट्रेड यूनियनों के बीच आपसी सहमति नहीं थी तो सरकार को चाहिए था कि सबसे बड़े अकेले संगठन को प्रतिनिधित्व देती. इस क्रेडेंशियल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, "कमेटी, तो भी, सरकार के अधिकतम प्रतिनिधित्व वाले संगठन को बारी-बारी से प्रतिनिधि

[शेष पृष्ठ बारह पर]

आई. एल. ओ. का सेशन : कामरेड एम. के. पंधे (पहली पंक्ति, बाएं से सबसे पहले)

सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के उफनते जवानों का सेना द्वारा दमन

देश के लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जहां सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. का इस्तेमाल आम तौर से ट्रेड यूनियनों में कार्यरत मजदूरों के खिलाफ किया जाता था अब इन सेवारत कर्मचारियों के आंदोलन में उलझे हुए हैं. अपने निम्न जीवन-स्तर के कारण इन कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया है.

इस्पात उद्योग में सी. आई. एस. एफ. के एक कर्मचारी को केवल 300 रुपये महीना वेतन मिलता है जबकि एक अकुशल मजदूर को इस उद्योग में कम से कम 512 रुपये मिलते हैं. केंद्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों से सी. आई. एस. एफ. के खर्चे के लिए तो एक बहुत बड़ी राशि लेती है लेकिन इसका बहुत बड़ा भाग अफसरों के अधिक वेतनों में ही खर्च किया जाता है.

ट्रेड यूनियन आंदोलन ने यह मांग ठीक ही की है कि सी. आई. एस. एफ. को समाप्त किया जाए तथा इसमें काम करने वालों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के सुरक्षा विभाग में ले लिया जाए. इन कर्मचारियों का मजदूरों व ट्रेड यूनियनों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. जब सी. आई. एस. एफ. और सी. आर. पी. ने सारे देश में, काम करने की अच्छी हालत, ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया, तब उनपर निर्दयता से आक्रमण किया गया.

इन कर्मचारियों ने, वेतन-मानों में संशोधन, 8 घंटे की ड्यूटी, शत प्रतिशत मकान सुविधाएं, रात्रि भत्ता, संगठन बनाने का अधिकार आदि मांगें की. जब प्रतिनिधियों ने मांगपत्र पेश किया तब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने खुद बनाया हुआ मांग पत्र जिसे केबिनेट ने स्वीकारा था, पेश करने को कहा. सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के प्रतिनिधियों ने इस अपमानजनक प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया तब उनके संपूर्ण देश के 24-25 प्रतिनिधियों को जिन्हें दिल्ली में बातचीत के लिए बुलाया गया था जेल में बंद कर दिया गया.

यह क्रूर दमन सारे सार्वजनिक क्षेत्रों में हुआ. बोकारो स्टील प्लांट में सी. आई. एफ. एफ. के जवानों के खिलाफ मोर्टार तक का भी इस्तेमाल किया गया. पुलिस या फौज ने इन जवानों को जेलों में यातनाएं देना, निर्दयता से पिटाई और गोली से उन्हें जान से मारना आम बात थी. कितने ही जवानों को नौकरी से निकाला गया और उतने ही जवानों को जेलों में ठूंसा गया. कई कंपनियों को खारिज कर दिया गया है.

कामरेड समर मुखर्जी ने इस क्रूर दमन की निन्दा करते हुए 9 जुलाई को संसद में कहा कि "फौज का इस्तेमाल करके आप किसी भी अलग-थलग आंदोलन को दबा सकते है पर आन्दोलन अगर सारे देश मे फैल गया तो क्या फौज उससे प्रभावित हुए बिना रह सकेगी...पहले ही फौज ने उनका इस ढ़ग से सी. आर. पी. और लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर अपना असंतोष जाहिर किया है...अनौपचारिक रूप से यह इतिहास का सबक है श्रीमान प्रधान मंत्री कि जब सारा देश आक्रोश और जन आंदोलन में ग्रस्त हो तो फौज उससे अलग नहीं रह सकती.."

अंतर्राष्ट्रीय ऐग्रीकलचरल ट्रेड यूनियनों का आठवां सम्मेलन

पोलेण्ड की राजधानी वारसा में 9 से 12 मई 1979 को ऐग्रीकलचरल, फोरेस्ट्री और प्लांटेशन मजदूरों की ट्रेड यूनियनों का आठवां सम्मेलन हुआ. सम्मेलन का विषय था देहाती मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में प्रभावशाली भागेदारी, ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन को मजबूत करना और देहाती मजदूरों तथा पूरे मजदूर वर्ग के संघर्षों में एकता. यह सम्मेलन ऐग्रीकलचरल, फोरेस्ट्री और प्लांटेशन मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की स्थापना पर मनाए जा रहे दौर में हुआ.

कान्फ्रेंस में 67 देशों सहित आई. एल. ओ तथा डबल्यू. एफ. टी. यू. जैसे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशनों से 218 प्रतिनिधियों तथा प्रेक्षकों ने हिस्सा लिया. पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के वन और पर्यटन विभाग के मंत्री कामरेड परिमल मित्र और आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) के कामरेड घनीराम खोसला और आल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने इसमें हिस्सा लिया. इसके अलावा इंटक और एटक के प्रतिनिधि भी शामिल थे.

कान्फ्रेंस में बेरोजगारी, गरीबी और निरक्षरता जो कई देशों में और खासकर देहाती हिस्सों में महामारी की तरह फैलती चली जा रही है, और गम्भीर खाद्य संकट जो और भी ज्यादा गम्भीर होता जा रहा है इन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जनवादी और आमूल परिवर्तन और खासकर जर्मन की मिलकियत तथा भूमि के शोषण के बारे में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिससे देहाती मजदूर आर्थिक सामाजिक विकास में हिस्सा ले. और ट्रेड यूनियनों तथा किसानों के संगठनों की गतिविधियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

तमिलनाडु में कपड़ा मजदूरों की शानदार जीत

तमिलनाडु में कपड़ा मजदूरों की 25 मई से जारी 57 दिनों की लगातार हड़ताल के बाद उनकी मांगों की जीत हुई. करीब 200 मिलों के लगभग डेढ़ लाख कपड़ा मजदूरों ने इस हड़ताल में भाग लिया. तमिलनाडु राज्य के मौजूदा हालात में यह मजदूर वर्ग की बड़ी हड़तालों में से एक है. इस हड़ताल के दौरान मजदूरों में अभूतपूर्व एकता देखी गई और एम. जी. आर. सरकार व मालिकों के एकता को तोड़ने के प्रयत्नों को मजदूरों की दृढ़ एकता ने झकझोर दिया. इंटक के वरिष्ठ नेताओं के विचारों में विभिन्नता का नीचे के नेताओं पर कोई असर नहीं हुआ. सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस हड़ताल का प्रचार किया और इसे तमिलनाडु की सभी विरोधी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ. यह हड़ताल राज्य के सारे कपड़ा मजदूरों की एकता की जीत है. और सीटू इस एकता के संघर्ष में चैंपियन के रूप में उभर कर आयी है. सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना की थी और इसी समिति ने हड़ताल का मार्ग दर्शन किया.

मांगें मानी गईं

यह हड़ताल इन आधारों पर तय हुई कि (1) कपड़ा मजदूरों की मूल आय में 45 रुपये की वृद्धि, (2) सी. एल. आई. (1936 के आधार पर) के 1000 प्वाइंट से ज्यादा पर पहले दो सालों के लिए एक पैसा अस्थिर डी. ए. में बढ़ोतरी और 1.1.1981 से एक पैसा और बढ़ोतरी (फिलहाल इसकी दर 340 प्वाइंट पर 30 पैसे हैं), (3) दो प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी जो अभी एक प्रतिशत है, (4) हर साल दो दिन का कैजुअल अवकाश (जो फिलहाल एक भी नहीं है) और (5) ये सभी शर्तें 1.1.1979 से लागू होंगी. यह भी तय किया गया है कि कम समय के काम के लिए भी 8 घंटे का ही वेतन दिया जायेगा.

दमन के खिलाफ संघर्ष

तमिलनाडु के कपड़ा मजदूरों के लिए यह जीत इतनी आसान नहीं थी. उन्हें अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए, मालिकों के स्वार्थ में एम. जी. आर. के आतंक भरे शासन से लड़ना पड़ा.

इस हड़ताल की घोषणा से पहले, साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एस. आई. एम. ए.) के प्रतिनिधियों ने मांग-पत्र में दी हुई मांगों पर बातचीत करने की बजाय केवल 30 रुपये ज्यादा देने की बात की. एम. जी. आर. सरकार ने यह मसला ट्रिब्युनल को इस उद्देश्य से सौंप दिया जिससे हड़ताल को तोड़ा जा सके और एस. आई. एम. ए. की बात को मजदूर स्वीकार कर लें. इन सब कपटी योजनाओं को तोड़कर, तमिलनाडु के डेढ़ लाख कपड़ा मजदूर हड़ताल पर गये जो 25 मई को शुरू हुई और उन्होंने मालिकों के हितों में उपयोगी होने वाले सभी प्रयत्नों को विफल किया.

कुछ इंटक के नेताओं ने, इस हड़ताल को तोड़ने की कोशिशें की. कपड़ा मजदूरों के नेता और मजदूर जिन्होंने पिकेटिंग का नेतृत्व किया, उन्हें इंटक के गुण्डों ने और पुलिस ने निर्दयता से पीटा और कई मजदूरों व ट्रेड यूनियन नेताओं को आई. पी. सी. 307 के अंतर्गत और अन्य झूठे आरोप लगाकर पकड़वाया गया. इस आतंक के विरोध में, तमिलनाडु के कपड़ा मजदूरों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाना शुरू किया जो 28 जून से 7 जुलाई तक चलता रहा. हजारों की संख्या में मजदूरों ने गिरफ्तारियां दी जिसमें से 3683 मजदूर कोयम्बतूर की सेंट्रल जेल में रखे गये और करीब इतनी ही संख्या में गिरफ्तार मजदूर जिलों की जेलों में रखे गए.

जब 11 जून को पिकेटिंग करने का फैसला लिया गया तब ए. डी. एम. के. की यूनियन संयुक्त संघर्ष समिति से पीछे हट गई. और 23 जून को इंटक भी भी पीछे हट गई. लेकिन ये फूट डालने वाले न तो संघर्षरत मजदूरों के संघर्ष को कमजोर कर सके और न ही उनकी एकता को तोड़ सके.

मालिकों की घिनौनी भूमिका

मदुरई कोट्स की मैनेजमैंट (हारवे मिल आफ मदुराई) और कुछ अन्य मैनेजमेंटों ने वेतन में 60 से 85 रुपये महीना वृद्धि तथा बचे हुए भुगतान में 450 से 651 रुपये महीना वृद्धि करके इस हड़ताल को तोड़ने का प्रयत्न किया. राज्य सरकार व पुलिस ने मालिकों का साथ दिया तथा इंटक के नेताओं ने भी इस का समर्थन किया और हड़ताल को तोड़ने का प्रयत्न किया. लेकिन यह प्रयत्न भी कपड़ा मजदूरों की चट्टानी एकता ने विफल कर दिया.

हड़ताल के दौरान, जब एस. आई. एम. ए. के अध्यक्ष ने, वेतन में 30 रुपये से 40 रुपये की बढ़ोतरी की तब राज्य सरकार ने यूनियनों पर जोर दिया ताकि वे इस बढ़ोतरी को मान लें लेकिन इन प्रयत्नों का भी विरोध किया गया.

जबरदस्त एकता

तमिलनाडु के कपड़ा मजदूरों की इस हड़ताल की दृढ़ एकता ने एक नया रिकार्ड स्थापित किया है. कई उद्योग के मजदूर व कर्मचारियों ने राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एल. आई. सी., बैंक व पी. एण्ड टी. के कर्मचारियों ने सरकारी दफ्तरों के सामने संयुक्त प्रदर्शनों द्वारा, कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किया. विरोधी दलों के नेताओं-सी.पी.आई. (एम.), डी. एम. के., मुस्लिम लीग आदि ने मद्रास में मिलकर संयुक्त रूप से पूरे तमिलनाडु में 8 जुलाई को कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में रैलियां आयोजित कीं.

एकता बनाए रखो

तमिलनाडु में, कपड़ा मजदूरों की मांगों के समझौते के बाद लगभग सभी राज्यों की मांगें अब तय हो गई हैं.

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

इस्पात उत्पादन में गिरावट···

[पृष्ठ पांच का शेष]

आन्दोलन की राह पर जाने को मजबूर किया. उन्होंने कहा कि इन हालात के लिए पूरी जिम्मेदारी प्रबंधकों पर हैं.

हक में नहीं

दुर्गापुर के कामरेड मृणाल बैनर्जी ने बताया कि प्लांट की वास्तविक कार्य-क्षमता ध्यान में रखे बगैर उत्पादन की अधिक क्षमता तय करने के कारण दुर्गापुर में इंसेंटिव स्कीम मजदूरों के हित में भी नहीं थी.

बहस में हिस्सा लेने वालों में काम. शांति पटेल, का· सामन्त राय (एच. एम. एस.), काम. नरेश दत्ता (एटक), काम. गोपेश्बर और काम. आनन्द गोपाल मुखर्जी (इटंक) भी थे.

द्विपक्षीय मशीनरी

मीटिंग में इस बात के लिए सहमति प्रकट की गई कि एस. ए. आई. एल. के स्टील प्लांटों में प्रभावित करने वाली समस्याओं पर विचार के लिए एक द्विपक्षीय मशीनरी बनाई जाये ताकि स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाये जा सकें.

मजदूरों की बात मानी गई

इस्पात और खदान मंत्रालय के सचिव श्री एम. सोंधी ने बहस का समापन करते हुए मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गए मुद्दों को मानते हुए उन पर गंभीरता से विचार करने के लिए रजामंद हुए. उन्होंने यह बात भी नोट की कि दुर्गापुर स्टील प्लांट के लक्ष्यों को 1250 मी. टन की बजाए 1100 मी. टन किया जा सकता है. मजदूर प्रतिनिधियों ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि बाहरी कारणों की वजह से उत्पादन में कमी की तुलना में औद्योगिक झगड़ों के कारण उत्पादन में वास्तविक कमी कुछ भी नहीं है. इस बात पर भी सहमति हुई कि इस्पात उत्पादन में बाधाओं की प्लांटवाइज समस्याओं पर विस्तार से विचार करने के लिए प्लांटवाइज बहस आयोजित की जाए· प्रबंधकों ने कोकिंग कोल और पावर की कमी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की बात मानी.

आई. एल. ओ.···

[पृष्ठ नौ से आगे]

भेजने के सिद्धान्त को, जो सभी को मान्य हो, को मानने के लिए कोशिशों को दिलचस्पी के साथ नोट करती है. कमेटी, सरकार और संबंधित, विभिन्न संगठनों से अपील करती है कि भविष्य में, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले संगठन की सहमति से, मजदूरों के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए कोई कसर न छोडी जाए." संविधान के अनुच्छेद तीन के परिच्छेद पांच के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आफ जस्टिस ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि, 'सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाले संगठन का मतलब केवल एक बड़ा संगठन ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला मजदूरों का दल भी है.' यह भी देखा गया है कि आई. सी. एफ. टी. यू. का प्रबल नेतृत्व प्राय: इंटक के पक्ष में है. हालांकि एच. एम. एस. भी इससे संबंधित है.

इमरजेंसी की आलोचना

आई. एल. ओ. में पहली बार भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि ने इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी के 'एक सत्ताधारी' शासन व ट्रेड यूनियन के अधिकारों का दमन का उल्लेख व आलोचना की. इससे पहले इंटक के प्रतिनिधियों ने भारत में मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों के दमन का उल्लेख भी नहीं किया था. इस बात को, कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले कई प्रतिनिधियों ने नोट किया.

भारतीय प्रतिनिधि-मंडल की ओर से एस. वेंकटराम (एच. एम. एस.) ने 'विश्व-रोजगार कनवेंशन' के कार्यों की कमेटी में, कामरेड एम. के. पन्धे (सीटू) ने 'प्रस्ताव कमेटी' में, तथा प्रभाकर घाटे (बी. एम. एस.) ने 'आई. एल. ओ. की रचना से संबंधित कमीशन में काम किया.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979		
	मार्च	अप्रै.	मई
बिहार			
जमशेदपुर	323	329	331
झारिया	316	318	320
कोडर्मा	341	350	350
मोंघाइर	340	352	349
नोआमुंडी	311	325	327
गुजरात			
अहमदाबाद	327	328	331
भाव नगर	335	344	345
हरियाणा			
यमुना नगर	362	365	362
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	340	348	347
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	355	359	356
भोपाल	336	337	336
ग्वालियर	355	352	352
इंदौर	358	361	362
महाराष्ट्र			
बंबई	236	331	335
नागपुर	324	332	333
शोलापुर	341	347	349
पंजाब			
अमृतसर	353	352	352
राजस्थान			
अजमेर	344	341	339
जयपुर	368	362	365
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	335	335	333
सहारनपुर	344	348	342
वाराणसी	392	387	379
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	346	348	354
कलकत्ता	329	331	335
दार्जीलिंग	279	279	280
हावड़ा	321	325	329
जलपाइगुरी	282	288	288
रानीगंज	326	333	336
दिल्ली	371	375	374
भारत	332	337	339

(लेबर ब्यूरो, शिमला)

फर्टीलाइजर कंपनियों में सांकेतिक हड़ताल

पांच सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, फर्टीलाइजर कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन, नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटड और फर्टीलाइजर (प्लैनिंग एंड डेवेलायमेंट) इंडिया लिमिटेड, की सभी युनिटों, डिविजनों व दफ्तरों आदि के 50,000 कर्मचारियों ने 27 जुलाई को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की.

इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान फर्टीलाइजर वर्कर्स फेंडरेशन आफ इंडिया ने एक जनवरी 1979 से वेतनों के संशोधन के लिए वेतन समझौता वार्ता शुरू करने में देरी के खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए किया था. इन कंपनियों के प्रबंधकों ने 25 मई, 1978 की एग्रीमेंट समझौता वार्ता शुरू करना स्वीकारा था.

मजदूरों से समझौता वार्ता में देरी करने के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद सरकार और प्रबंधकों के द्वारा अड़ियल रवैया अपनाने के कारण फैडरेशन माह निर्णय लेने पर मजबूर हुई. तेल, रसायन और खाद्य मंत्री के आश्वासनों का भी इस बारे में पालन नहीं किया गया है. अगर समझौता वार्ता जल्द शुरू नहीं हुई तो 50,000 मजदूर सितम्बर में लगातार हड़ताल पर जा सकते हैं.

तमिलनाडु....

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

पहला समझौता पश्चिम बंगाल में हुआ और उसके बाद बंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कानपुर में भी हुआ. और इन सब समझौतों में वेतन वृद्धि 45 रुपये हुई. कपड़ा मजदूरों को ये लाभ एकता से किये गये संघर्ष के बल पर हुए और इस एकता को और मजबूत व दृढ़ बनाना चाहिए. इन दिशाओं में सीटू की यूनियनों को अगला भूमिका निभानी चाहिए.

इस दौर में, तमिलनाडु के कपड़ा मजदूरों के नेतृत्व में सबसे लंबा संघर्ष हुआ. सीटू मजदूरों को, उनकी शानदार जीत पर बधाई देती है और इस हड़ताली संघर्ष द्वारा स्थापित एकता को और मजबूत बनाने का आह्वान करती है.

बिहार...

[पृष्ठ तीन का शेष]

ओर से का. चण्डी प्रसाद और का. हरिकृष्ण शामिल थे. मुख्य मंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि आप अपनी सरकार की ओर से औद्योगिक संबंध विधेयक, रिजर्व बैंक तथा जबरिया जमा योजना के पैसों को रोकने संबंधी अध्यादेश को वापस लेने तथा रेल सहित सभी मेहनतकशों को बोनस देने के सवाल पर हमारी मांग को मानने के लिए लिखें और राज्य सरकार द्वारा गुण्डा दमन कानून, आवश्यक सेवा नियम तथा 10 सूत्री आदेश को वापस लें.

प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए सी. आई. टी. यू. की बिहार राज्य कमेटी के महासचिव का. चण्डी प्रसाद ने प्रतिनिधि मंडल की ओर से मुख्य मंत्री से हुई बातों की रिपोर्ट करते हुए मजदूरों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि चाहे जिसकी भी सरकार बने मजदूर वर्ग को अपने हकों की हिफाजत में एकबद्ध होकर संघर्ष करना पड़ेगा. उन्होंने केंद्र की बनाने वाली नयी सरकार को चेतावनी की, कि अगर वह मजदूर विरोधी रवैये को नहीं बदलती और मजदूर विरोधी विल और अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तो उसे भी पिछली सरकारों का ही रास्ता देखना होगा.

पश्चिम बंगाल....

[पृष्ठ छः से आगे[

आयोजित की गई. रैली में वक्ताओं ने दमनात्मक कदमों को वापस लेने तथा विवादों का निपटारा करने के लिए रिजर्व बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन के नेताओं से सीधे बातचीत करने की मांग की.

रिजर्व बैंक कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगाने वाले काले अध्यादेश की सभी यूनियनों, केंद्रीय सरकार कर्मचारियों तथा मजदूरों की को-आर्डिनेशन कमेटी, 12 जुलाई कमेटी तथा कई अन्य संगठनों ने कड़ी आलोचना की है.

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन...

[पृष्ठ दस से आगे]

पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ते हुए संकट के सामने मजदूरों और किसानों के श्रम का बड़ी पूंजी द्वारा और भी ज्यादा शोषण हो रहा है और प्रतिक्रियावादी ट्रांसनैशनल्स तथा साम्राज्यवादी ताकतें लोगों की आर्थिक और राजनीतिक आजादी को छीन लेने का षडयन्त्र कर रही हैं. कान्फ्रेंस ने सभी देहाती मजदूरों को संघर्ष में एकता को तथा मजदूर वर्ग और किसानों के सहयोग को तेज करने का आह्वान किया है तथा सभी मजदूरों के जनवादी स्वतन्त्रता और ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया है.

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड
नई दिल्ली-110001
फोन : 384071

सीटू द्वारा मांग : दिल्ली वाटर वर्क्स और म्युनिसिपल कर्मचारियों की मांगों का तुरंत फैसला करो

सीटू के अध्यक्ष, कामरेड बी. टी. रणदिवे ने 13 जुलाई को जारी किए गए बयान में कहा कि **दिल्ली महानगर के लोगों को पानी की कमी के कारण जिन यातनाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए सीटू बहुत ही चिंतित है.** उन्होने कहा कि इन कठिनाइयों के लिए दिल्ली महानगर परिषद के अधिकारीगण पूरी तरह से जिम्मेदार हैं. अधिकारियों ने जनता की बुनियादी जरूरतों के प्रति अपनी संगीन लापरवाही को छिपाने के लिए न सिर्फ तथ्यों को छिपाया है बल्कि सीटू यूनियन को बदनाम करने के लिए नीचे दिए गए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है.

वजीराबाद, हैदरपुर और ओखला के वाटर वर्क्सों के कर्मचारी जो बी. एम. एस. और इंटक की यूनियनों में संगठित हैं अपनी मांगों पर समझौते के लिए आंदोलन कर रहे थे. बी. एम. एस. से संबंधित यूनियन ने 28 जून को हड़ताल शुरू की थी जो अधिकारियों के इस आश्वासन पर वापस ले ली गई कि 10 जुलाई तक उनकी मांगों पर समझौता हो जाएगा. ये मजदूर पानी को निकालने और साफ करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं. यह पानी शहर के विभिन्न भागों में भेज कर स्टोरेज टैंकों में जमा कर लिया जाता है. सीटू की इन वाटर वर्क्सों में कोई भी यूनियन नहीं है. महानगर परिषद के अधिकारियों द्वारा मांगों को मानने से इंकार करने पर मजदूर एक बार फिर 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए. अधिकारियों ने हड़ताली मजदूरों से समझौता वार्ता करने की बजाय फौजियों को वाटर वर्क्स चलाने के लिए भेज दिया जिसकी वजह से आम जनता की यह दशा हुई है.

सीटू से संबंधित म्युनिसिपल कर्मचारी लाल झंडा यूनियन ने एक अलग मांग-पत्र पर 10 जुलाई से धरने पर जाने का नोटिस दिया था. अधिकारियों ने उनकी मांगों के प्रति बड़ी बेशर्मी से लापरवाही की और अभी तक उनसे समझौता वार्ता शुरू नहीं की है. सीटू इस बयान का जोरदार खण्डन करती है कि लाल झंडा यूनियन 11 जुलाई को हुई किसी समझौता वार्ता में भागीदार थी.

सीटू दिल्ली महानगर परिषद के जनता के प्रति लापरवाही के रवैये की निंदा करती है और सरकार से सघर्षरत मजदूरों से समझौता कराने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करती है.

सीटू सभी जनवादी लोगों से अपील करती है कि वे अपनी शक्तिशाली आवाज उठायें जिससे महानगर परिषद के अधिकारीगण मजदूरों से समझौता करने के लिए मजबूर हों और लाखों लोगों की राहत मिल सके.

संघर्ष जारी रहेगा

20 जुलाई को दोपहर तीन बजे सीटू से संबंधित दिल्ली की सभी यूनियनों ने इन संघर्षरत कर्मचारियों के समर्थन में एक भारी जुलूस निकाला और टाउन हाल (निगम मुख्यालय) पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया. इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली सीटू के अध्यक्ष का. चाचा शादीराम ने दिल्ली प्रशासन तथा नगर निगम को चेतावनी दी कि अगर बातचीत के जरिए इनकी मांगों पर शीघ्र समझौता नहीं किया गया तो इससे स्थिति और भी बिगड़ जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे दमन का रवैया छोड़ कर बात चीत से मसले को सुलझाएं.

इसी बीच सीटू की दिल्ली कमेटी ने सभी संबद्ध यूनियनों को नगर निगम के संघर्षरत कर्मचारियों की सीधी मदद करने का आह्वान किया है और जनता से अपील की है कि कर्मचारियों की उपरोक्त मांगों को मानने के लिए नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधियों पर दबाव डालें.

पुलिस—दमन के खिलाफ प्रदर्शन

20 जुलाई की शाम को सीटू से संबंधित दिल्ली की सभी यूनियनों के हजारों मजदूरों ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर एक घंटे तक प्रदर्शन किया. ये मजदूर पुलिस दमन तथा पुलिस अफसरों के साथ सांठगांठ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे.

दिल्ली सीटू के जरनल सेक्रेटरी का. जयंत राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया. ज्ञापन में बताया गया है कि वजीरपुर तथा ओखला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस के अफसरान प्रबंधकों से मिल कर संघर्षरत मजदूरों को बेरहमी से पीटते हैं और उनपर झूठे मुकदमें बनाते हैं. इन क्षेत्रों के प्रबन्धकों ने पेशेवर गुण्डों को मजदूरों पर हमले करवाने के लिए भरती कर रखा है. ये गुण्डे मजदूरों पर हमले करते हैं परन्तु पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करती उल्टे मजदूरों को ही तंग करती है.

ज्ञापन में वजीरपुर की स्टील बाल बियरिंग फैक्ट्री में प्रबंधकों के कहने पर गार्ड द्वारा मजदूरों पर गोलियां चलाने की घटना का भी उल्लेख किया गया है

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

कपड़ा मजदूरों की शानदार हड़ताल जारी

दिल्ली के 24,000 कपड़ा मजदूरों की हड़ताल ने 28 जुलाई को दूसरे महीने में प्रवेश कर लिया है. यह हड़ताल कई कारणों से ऐतिहासिक है, जैसे—सब मजदूरों के बीच एकता कायम हुई जिसमें सीटू, एटक, इंटक, बी. एम. एस. आदि से संबंधित नौ यूनियनों की संयुक्त संघर्ष समिति बनी; इस हड़ताल को दिल्ली के मजदूर-वर्ग व कर्मचारियों का भारी समर्थन मिला और एकता कमेटी बनी जिसमें केंद्रीय संगठनों व मेहनतकशों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल है. और यह प्रबंधकों द्वारा भड़काए जाने व धमकियों के बावजूद अपनी मांगों को जीतने के लिए मजदूरों की शक्ति व दृढ़ संकल्प के लिए भी ऐतिहासिक है.

मांगें

मजदूरों की मुख्य मांगें हैं—(1) वेतन के ढ़ांचे में बुनियादी परिवर्तन तथा वेतनमानों के संशोधन, जिसके होने तक 85 रुपये कम से कम अंतरिम सहायता मिले, (2) महंगाई भत्ते में शत प्रतिशत भरपाई, (3) 1973 से महंगाई भत्ते का पूरा बकाया दिया जाए (वैद्यलिंगम निर्णय के अनुसार प्रबंधकों द्वारा महंगाई भत्ते की 78 प्रतिशत भरपाई की बजाय 90 प्रतिशत दी जानी चाहिए थी) तथा (4) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में घांधली समाप्त करना.

तुलना

यह नोट करने की बात है कि, दिल्ली के कपड़ा मजदूरों का वेतन दूसरे केंद्रों के कपड़ा मजदूरों की तुलना में बहुत कम है. इसके अलावा, दिल्ली के मजदूरों को महंगाई भत्ते की केवल 78 प्रतिशत ही भरपाई मिलती है, जबकि अहमदाबाद व कोयम्बतूर में शत प्रतिशत, बम्बई में 99 प्रतिशत, कानपुर में 93 प्रतिशत महंगाई की भरपाई मिलती है. इसके अलावा, अखिल भारतीय सूचकांक के आधार पर, दिल्ली सूचकांक अन्य जगहों से 40 से 50 प्वाइंट ज्यादा है.

प्रबंधकों का प्रस्ताव अस्वीकार

इस अन्याय की स्थिति में बढ़ते हुए असंतोष को रोकने की कोशिश करने की बजाय अनेक मिलों के प्रबंधकों ने जिसमें डी. सी. एम. ग्रुप, बिरला तथा एन. टी. सी. मिल शामिल हैं, यूनियनों के मांग-पत्र पर विचार करने से मना कर दिया और यह मांग की कि पहले वर्कलोड में बढ़ोतरी तथा रेश्नलाइजेशन के नाम पर छटनी करने को स्वीकार करने पर ही बम्बई और अहमदाबाद के वेतन में बढ़ौतरी के बराबर की बात सोची जाएगी. अर्थात् 45 रुपये वेतन बढ़ोतरी और 6 रुपये वार्षिक बढ़ोतरी. जब इस प्रस्ताव को गेटों पर हुई बड़ी मीटिंगों में मजदूरों के सामने रखा गया तो मजदूरों ने इसे सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया. यह संघर्ष प्रबंधकों के अड़ियल रवैये के कारण जारी है. दूसरी ओर, दिल्ली प्रशासन केवल दर्शक के रूप में व्यवहार कर रहा है, हालांकि मुख्य कार्यकारिणी पार्षद श्री केदार नाथ साहनी ने यह माना है कि मजदूरों की मांगें जायज हैं. फिर भी उनको और उनके द्वारा चलाये जाने वाले प्रशासन को अभी भी मांगे पूरी करने के लिए कोई कदम उठाना है.

सीटू द्वारा समर्थन

डी. सी. एम. हैडक्वार्टर पर 3 जुलाई को, उद्योग भवन पर 16 जुलाई को और 20 जुलाई को लेफ्टीनेंट गवर्नर के घर के सामने बड़े प्रदर्शनों का आयोजन किया गया जिसमें कपड़ा मजदूरों के अतिरिक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी भाग लिया. सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने इस अवसर पर हजारों मजदूरों को इंजीनियरिंग, होटल, कार्पोरेशन तथा दूसरे उद्योगों से एकत्रित किया. रैली को संबोधित करते हुए, सीटू के नेताओं ने हड़ताली मजदूरों को अपने संगठन के पूरे समर्थन का आश्वासन दिया और घोषणा की कि इस हड़ताल के समर्थन में सब संगठनों को मिलाकर जल्द ही सम्पूर्ण बन्द का आयोजन किया जायगा.

जबरदस्त एकता

हर रोज, गेट के सामने विशाल मीटिंगें आयोजित की जाती है जिनको सभी संगठनों के नेताओं द्वारा संबोधित किया जाता है. मजदूरों के संघर्ष को तोड़ने के लिए, प्रबंधकों ने हाईकोर्ट से पिकेटिंग व मीटिंग पर रोक लगाने के लिए आदेश पा लिया. 21 जुलाई की रात को पुलिस ने 9 मजदूरों को, जिनमें सीटू के कार्यकर्त्ता भी शामिल हैं, बिरला मिल के गेट से गिरफ्तार किया तथा माइक्रोफोन पर रोक लगा दी गई. इसके कारण, मजदूरों की मजबूत और लड़ाकू एकता कायम हुई. हालांकि पिकेटिंग अब गेट से 50 गज दूर होती है फिर भी प्रबंधक हड़ताल तोड़ने में असफल रहे.

संघर्ष समिति ने मजदूरों को उनकी एकता पर बधाई देते हुए संघर्ष को मांगें पूरी होने तक जारी रखने का आह्वान किया है.

पुलिस दमन . . .

[पृष्ठ चौदह से आगे]

और बताया गया है कि प्रबंधक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर का ध्यान दफा 144 की ओर आकर्षित करते हुए चेतावनी दी कि परमानेन्ट दफा 144 लगाकर और जलसे जुलूस के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत न देकर मजदूर संघर्षों को तोड़ा नहीं जा सकता. यदि मजदूर आंदोलनों के प्रति पुलिस अफसरों का रवैया जारी रहा तो राजधानी का मजदूर वर्ग अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा के लिए नये प्रकार की लामबंदी करेगा.

Regd. No. D (C) 833

दिल्ली में न्यूनतम वेतन पर कनवेंशन

दिल्ली के मजदूरों की 11 अगस्त को हड़ताल

30 जुलाई को नई दिल्ली में हुई सीटू, एटक, एच. एम. एस., यू. टी. यू. सी. और बी. एम. एस. की दिल्ली कमेटियों द्वारा आयोजित एक संयुक्त कनवेंशन ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग और कपड़ा व अखबारों के संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में 11 अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय लिया.

एक प्रस्ताव द्वारा 350 रुपये न्यूनतम वेतन और 300 प्लाइंट सूचकांक पर 150 रुपये महंगाई भत्ते की मांग रखी गई. इसके अलावा मकान सुविधा या मकान किराया भत्ता देने तथा यात्रा किराया भत्ता देने की मांग भी रखी गई. कनवेंशन ने टेक्सटाइल, अखबारों म्युनिसिपल कार्पोरेशन व लिप्टन के संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता जाहिर की.

एक अन्य प्रस्ताव में पुलिस की बार-बार धारा 144 लगाने, माइक्रोफोन का इस्तेमाल न करने देना तथा प्रबंधकों के साथ सांठगांठ रखने जैसी ज्यादतियों के लिए निंदा की गई.

कामरेड बी. टी. रणदिवे सीटू अध्यक्ष ने कनवेंशन का अभिनन्दन करते हुए कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि आजादी के32 सालों के बाद भी मजदूरों को सिर्फ बेसिक न्यूनतम वेतन में तुच्छ वृद्धि कर 350 रुपये करने और 150 रुपये के महंगाई भत्ते के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने पिछली सरकार की मजदूरवर्ग विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए नई सरकार को चेतावनी दी कि अगर उसने भी शहरी और देहाती मजदूरों के बीच खाई पैदा करने की वही नीतियां अपनाई तो उसका अन्जाम भी पिछली सरकारों जैसा होगा. उन्होंने मजदूरों से सभी मजदूरवर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आग्रह किया. का. बी. डी. जोशी. (एटक) और श्री ओ. पी. आधी (बी. एम. एस.) ने भी कनवेंशन का अभिनन्दन किया.

एक्शन कमेटी की ओर से मुख्य प्रस्ताव दिल्ली सीटू के सचिव जोगेन्द्र शर्मा ने पेश किया और अन्य प्रस्तावों को का. भगवानसिंह और रमेश अग्रवाल ने पेश किया.

कई वक्ताओं ने प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए दिल्ली प्रशासन द्वारा वेतन बढ़ोतरी के संशोधनों को लागू करने में अकर्मण्यता दिखाने के बारे में चर्चा की.

कनवेंशन ने इंटक और अन्य स्वतंत्र यूनियनों से इस संघर्ष में शामिल होने की अपील की.

कामरेड बी. के. पालीवाल को लाल सलाम

कामरेड बी. के. पालीवाल का 31 जुलाई को पेट, फेफड़ों तथा मस्तिष्क के केंसर से असामयिक निधन हो गया. वह 52 वर्ष के थे.

कामरेड पालीवाल नार्दर्न जोन की इंश्योरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन के संगठन सचिव, आल इंडिया इंश्योरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन की दिल्ली डिविजनल कमेटी के अध्यक्ष, सीटू की आल इंडिया जनरल काउंसिल के सदस्य सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष, सीटू की सोनीपत जिला कमेटी के अध्यक्ष, और सोनीपत, दिल्ली, व पश्चिमी यू. पी. के दफ्तरों के कर्मचारियों तथा औद्योगिक मजदूरों की विभिन्न ट्रेड यूनियनों से संबंधित थे. राजधानी दिल्ली में वह संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के चलाने वाले अगुवा योद्धा थे और युनाइटिड कांउंसिल आफ ट्रेड यूनियन्ज इन दिल्ली के संस्थापक संयोजक थे, यह दिल्ली को बहुत सी केंद्रीय सरकार कर्मचारियों, दिल्ली प्रशासन, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को ट्रेड यूनियनों को मिलाकर बनी थी.

कामरेड पालीवाल वर्ग संघर्ष के अटल मूर्त रूप थे और इंश्योरेंस तथा रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्षों में एकजुटता लाने के प्रेरणा-स्रोत थे. उन्होंने आम कार्यकर्त्ता के व्यवहार तथा गुणों को अपनाया. व्यक्तिगत व्यवहार में वह उदार तथा सबसे मेल-जोल रखने वाले थे. वह स्वभावतः नेता थे जो अपने गुणों से सभी कार्यकर्त्ताओं को सामूहिक कार्य करने में प्रेरित करते थे.

पिछले कुछ महीनों में वह गंभीर रूप से बीमारी से घिरे होने के बावजूद अपने ट्रेड यूनियन गतिविधियों के तजुर्बे से दूसरे साथियों को प्रेरणा देते रहे. कामरेड पालीवाल के देहांत से ट्रेड यूनियन आंदोलन खासकर इंश्योरेंस कर्मचारियों ने एक समर्पित तथा संघर्षशील नेता खो दिया. हम पीड़ितों तथा शोषितों के साथ मिलकर कामरेड पालीवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा संकल्प लेते हैं जो कार्य उन्होंने अधूरे छोड़ हैं उन्हें पूरा करेंगे..

संपादक मंडल
बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)
पी राममूर्ति मनोरंजन राय
निरेन घोष सुधिन कुमार
एम के पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 1,लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-110035 से मुद्रित (फोन : 384071)